मुसलमानों के आपसी हुकुक. बताने वाली
बेहतरीन किताब
बन्दों के हुकूक़
मुसन्निफ़
आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा ख़ाँ
फ़ाज़िले बरेलवी अलैहिर्रहमह
मुरत्तबा
हज़रत मौलाना
अब्दुल मोबीन नौमानी क़ादिरी
हिन्दी तर्जुमा
मुहम्मद अहमद उर्फ़
मुहम्मद महताब अली
नाशिर
आलाहज़रत दारुल कुतुब
इस्लामिया मार्किट, बरेली शरीफ़
जीलानी बुक डिपो
1229, चूड़ी वालान, जामा मस्जिद, दिल्ली-110006

तमाम भाईयो को सलाम किताबे स्केन करके पीडिएफ में आप तक पहुँचाने के लिए इस फक़ीर को अपनी दुआओ मे खास तौर पर याद रखे।

दुआओ का तालीब

सग ए रज़ा लाला ख़ान

غلام اعلی حضرت

786
92

मुसलमानों के आपसी हुक़ूक़
बताने वाली बेहतरीन किताब

बन्दों के हुक़ूक़

मुसन्निफ़
आलाहज़रत मुजद्दिद दीन -ओ- मिल्लत शाह इमाम
अहमद रज़ा ख़ाँ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु

मुरत्तबा
हज़रत मौलाना अब्दुल मोबीन नौमानी क़ादिरी

हिन्दी तर्जमा
मुहम्मद अहमद उर्फ़ मुहम्मद महताब अली (MSc. CAIIB)

नाशिर
क़ादिरी किताब घर
35, इस्लामिया मार्केट
बरेली शरीफ़

नाम किताब	बन्दों के हुक़ूक़
मुसन्निफ़	आलाहज़रत मुजद्दिद दीन -ओ- मिल्लत शाह इमाम अह़मद रज़ा ख़ाँ रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु
मुरत्तबा	हज़रत मौलाना अब्दुल मोबीन साहब नौमानी क़ादिरी
हिन्दी तर्जमा	मुह़म्मद अह़मद उर्फ़ मुह़म्मद महताब अली (MSc. CAIIB)
मिलने का पता	इमाम अह़मद रज़ा एकाडमी 196,197 इंगलिश गंज किला बरेली मकतबा जामे नूर 422, मटिया महल दिल्ली फ़ारूकया बुक डिपो 422, मटिया महल दिल्ली

बिस्मिल्लाहिर्रह़मानिर्रहीम

पेश लफ़्ज़

अल्लाह तआ़ला और उसके ह़बीब स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम का बहुत बड़ा फ़ज़्ल -ओ- करम और मेरे बुज़ुर्गों बिलख़ुसूस सरकारे ग़ौस पाक, सरकार ख़्वाजा ग़रीब नवाज़, सरकारे आलाहज़रत और मेरी मुर्शिदे कामिल सरकार मुफ़्तीए आज़म का बहुत फ़ैज़ है कि यह किताब "बन्दों के हुक़ूक़" आपके हाथों में है। यह किताब हिन्दी ज़बान में छप चुकी है मगर मैने अब इस किताब को नए अन्दाज़ से तरतीब दिया है हालाँ कि यह सब उर्दू ही की किताबों का तर्जमा है। अब इस किताब में हुक़ूक़ुल इबाद पर आलाहज़रत का रिसाला "आजबुल इमदाद फ़ी मुकफ़्फ़िराति हुक़ूक़िल इबाद" भी शामिल कर दिया गया है जो कि बहुत ही उम्दा रिसाला है जिसे पहले ही छपना चाहिए था मगर नामालूम किस वजह से यह अब तक न छपा बल्कि उर्दू में भी यह रिसाला अब नहीं छपता।

हमने इस किताब को बहुत आसान करने की कोशिश की मगर कहीं कहीं लगता यह है कि हम इसमें पूरी तरह कामयाब नहीं हुए, उसकी वजह यह है कि आलाहज़रत की उर्दू भी काफ़ी मुश्किल होती है और उसको समझने के लिए बार बार उल्माए किराम की ख़िदमत लेनी पड़ती है। किताब के मुश्किल रह जाने की दूसरी वजह यह है कि जगह जगह आई फ़िक़्ही इस्तेलाहात को हिन्दी में समझाना तक़रीबन नामुमकिन होता है और उन्हें यूँ ही उतारना पड़ता है फिर भी हमारा अस्ल मक़सद हल हो जाता है और मसअले का मफ़हूम तो समझ में आ ही जाता है। इसके [illegible] आपको कहीं [illegible] आयेंगी तो ऐसे [illegible] किसी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा [illegible]

दरयाफ़्त करें और इस किताब में लगी लुग़त से मदद लें, इन्शाअल्लाह बात हल हो जाएगी।

इस किताब को आप तक पहुँचाने में सदरुश शरिया अलैहिर्रहमा के साहबज़ादे मौलाना बहाउल मुस्तफ़ा साहब ने मेरी बहुत मदद की अल्लाह तआला उन्हें अपने हबीब के सदक़े में दीन और दुनिया की बरकतों से मालामाल फ़रमाए। आप लोगों से भी गुज़ारिश है कि मेरे और उनके हक़ में दुआ करें।

मुहम्मद अहमद

3, मुहर्रमुल हराम 1421

फेहरिस्त

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

हुक़ूक़े वालिदैन

ख़ुदा वन्दे .क़ुद्दूस अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फ़रमाता है :-

وَقَضٰی رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلٰهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا ۝ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا (پ ۱۵ ع ۳)

तर्जमा :- और तुम्हारे रब ने हुक्म फ़रमाया है कि उसके सिवा किसी को न पूजो और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। अगर तेरे सामने उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जायें (ज़अफ़ का ग़लबा हो आज़ा में .क़ुव्वत न रहे और जैसा तू बचपन में उनके पास बेताक़त था ऐसे ही वह भी तेरे पास कमज़ोर रह जायें) तो उनसे "हुँह" न कहो (यानी कोई ऐसी बात मुँह से न निकालो जो उन्हें बुरी मालूम हो) और न कभी उनको फटकारो और उनके साथ बड़े अदब से बातचीत करो और उनके सामने निहायत आजज़ी और इन्किसारी से रहो (यानी उनके साथ बड़ी नर्मी से पेश आ और उनके साथ थके वक़्त में शफ़क़त व महब्बत का बर्ताव कर कि उन्होंने तेरी मजबूरी के वक़्त तुझे महब्बत से परवरिश किया था और जिस चीज़ की उन्हें .ज़ुरूरत हो वह देने में दरेग़ न कर) और अर्ज़ कर ऐ मेरे रब तू इन दोनों पर रहम फ़रमा जैसा की इन दोनों ने मुझे छोटेपन में पाला। (कहने का मतलब यह है कि दुनिया में बेहतर सुलूक

और ख़िदमत में कितना भी मुबालग़ा किया जाए लेकिन वालिदैन के ऐहसान का हक़ अदा नहीं होता इसलिए बन्दे को चाहिए कि बारगाहे इलाही में उन पर फ़ज़्ल व रहमत फ़रमाने की दुआ करे और अर्ज़ करे कि ऐ मेरे रब मेरी ख़िदमतें उनके ऐहसान की जज़ा नहीं हो सकतीं तू उन पर करम फ़रमा कि उनके ऐहसान का बदला हो।)

(सूरए बनीइसराईल रुकू 3)

फ़वाइद

1. माँ बाप को उनको नाम लेकर न पुकारे, यह अदब के ख़िलाफ़ है और इससे उनके दिल को तकलीफ़ होगी लेकिन वह सामने न हों तो उनका नाम लेकर उनको ज़िक्र करना जाइज़ है।

2. माँ बाप से इस तरह कलाम करे जिस तरह .गुलाम व ख़ादिम अपने आक़ा से करते हैं।

3. आयत 'रब्बिर ह़महुमा' से साबित हुआ कि मुसलमान के लिए रह़मत व मग़फ़िरत की दुआ जाइज़ और उसे फ़ायदा पहुँचाने वाली है। मुर्दों के इसाले सवाब में भी उनके लिए दुआए रह़मत होती है। लिहाज़ा इसके लिए यह आयत अस्ल है।

4. वालिदैन काफ़िर हों तो उनके लिए हिदायत व ईमान की दुआ करे कि यही उनके हक़ में रहमत है। (कंज़ुल ईमान, ख़ज़ाएनुल इरफ़ान)

एक दूसरी जगह बनी इस्राईल से अपने अहद को याद दिलाते हुए अल्लाह तआ़ला इरशाद फ़रमाता है कि :-

وَاِذاَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ لاَ تَعْبُدُوْنَ اِلاَّ اللّٰه قف

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَاناً (البقره پ١ع١٠)

तर्जमा : और जब हमने बनी इस्राईल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी को न पूजो और माँ बाप के साथ भलाई करो।

इस आयत और इससे पहली वाली आयत में अल्लाह तआ़ला ने अपनी इबादत का हुक्म फ़रमाने के बाद वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया है। इससे मालूम होता है कि वालिदैन की ख़िदमत बहुत .ज़ुरूरी है। वालिदैन के साथ भलाई के यह माअनी हैं कि ऐसी कोई बात न कहे और ऐसा कोई काम न करे जिससे उन्हें तकलीफ़ हो और अपने बदन व माल से उनकी ख़िदमत में कमी न करे जब उन्हें .ज़ुरूरत हो उनके पास हाज़िर हो।

मसाइल

1. अगर वालिदैन अपनी ख़िदमत के लिए नवाफ़िल छोड़ने का हुक्म दें तो नवाफ़िल छोड़ कर वालिदैन की ख़िदमत करे।

2. वाजिबात वालिदैन के हुक्म से तर्क नहीं किए जा सकते।

3. वालिदैन के साथ ऐहसान के बाज़ तरीक़े जो अहादीस से साबित हैं वह ये हैं :-

1. तहे दिल से उनके साथ महब्बत रखे।
2. उठते बैठते चलते फिरते हर वक़्त उनका अदब करे।
3. उनकी शान में ताज़ीम के अल्फ़ाज़ कहे।
4. उनको राज़ी करने की बराबर कोशिश करता रहे।
5. अपने नफ़्से माल को उनसे न बचाए।
6. उनके मरने के बाद उनकी वसीयतें जारी करे।
7. उनके लिए फ़ातिहा सद्क़ात तिलावते .क़ुरआन से इसाले सवाब करे।
8. अल्लाह तआ़ला से उनकी मग़फ़िरत की दुआ करे।
9. हर हफ़्ते उनकी क़ब्र की ज़ियारत करे।

(तफ़सीर फ़तहुल क़दीर, ख़ज़ाएनुल इरफ़ान)

एक और जगह वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक की इस तरह ताकीद और हुक्म फ़रमाता है :-

وَصَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْيَا مَعْرُوْفاً (لقمٰن پ۲۱ ع۱۱)

तर्जमा : और दुनिया में अच्छी तरह उनका साथ दे।

एक और जगह .खुसूसन वालिदा की तकलीफ़ को याद दिलाकर ऐहसान का हुक्म फ़रमाया जा रहा है :-

وَوَصَّيْنَا الاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَاناً ط حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهاً وَّ وَضَعَتْهُ كُرْهاً ط وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْراً ٥ (پ۲٦ ع۲)

तर्जमा : और हमने आदमी को हुक्म किया कि अपने माँ बाप से भलाई करे। उसकी माँ ने उसे पेट में रखा तकलीफ़ से और जना उसको तकलीफ़ से और उसे उठाए फिरना और उसका दूध छुड़ाना तीस महीने में है।

वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक का मुआमला सिर्फ़ जाइज़ हदों तक होना चाहिए ऐसा नहीं कि उनकी दिलदारी के लिए कोई ग़लत और ग़ैर शरई क़दम भी रवा समझ लिया जाए। इस सिलसिले में .कुरआन का साफ़ इरशाद है :-

وَوَصَّيْنَا الاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً ط وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِیْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ٥ (پ۲۰ ع۱۳)

तर्जमा : और हमने आदमी को ताकीद की माँ बाप के साथ भलाई और अगर वह कोशिश करें कि तू मेरा शरीक ठहराए जिसका तुझे इल्म नहीं तो उनका कहा न मान।(कंज़ुल ईमान)

इस आयत का शाने नुज़ुल यह है कि हज़रत सअद इब्ने अबी वक़्क़ास रदियल्लाहु तआला अन्हु जो साबक़ीन अव्वलीन साहाबा में से थे और अपनी वालिदा के साथ अच्छा सुलूक करते थे जब इस्लाम लाए तो आपकी वालिदा

हमनह बिन्ते अबू सुफ़यान ने कहा तूने यह क्या नया काम किया .खुदा की क़सम अगर तू इससे बाज़ न आया तो न मैं खाऊँ न पियूँ यहाँ तक कि मर जाऊँ और तेरी हमेशा के लिए बदनामी हो और तुझे माँ का क़ातिल कहा जाए फिर उस बुढ़िया ने फ़ाक़ा किया और एक शबाना रोज़ तक न खाया न पिया न साए में बैठी, उससे ज़ईफ़ हो गई फिर एक दिन और रात ऐसी ही रही तब हज़रते सअद उसके पास आए और फ़रमाया ऐ माँ अगर तेरी सौ जानें हो और एक एक करके सभी निकल जायें तो भी मैं अपना दीन यानी दीने इस्लाम छोड़ने वाला नहीं, तू चाहे खा चाहे मत खा। जब वह हज़रते सअद की तहफ़ से मायूस हो गई तो खाने पीने लगी। इस पर अल्लाह तआला ने यह अयते पाक नाज़िल फ़रमाई और हुक्म दिया कि वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक किया जाए, अगर वह कुफ़्र -ओ- शिर्क का हुक्म दें तो न माना जाए क्यूँकि ऐसी इताइत किसी मख़लूक़ की जाइज़ नहीं जिसमें .खुदा की नाफ़रमानी हो। (ख़ज़ाएनुल इरफ़ान)

वालिदैन के साथ हुस्ले सुलूक और उनके हुकूक़ की निगेहदाश्त से मुताल्लिक़ हुज़ूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं :-

हदीस न. 1 : हज़रत अबू हुरैरह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक रोज़ हुज़ूर -ए- अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक बार फ़रमाया ख़ाक आलूदा हो उसकी नाक फिर ख़ाक आलूदा हो उसकी नाक। अर्ज़ की गई किसकी या रसूलल्लाह! फ़रमाया उसकी जिसने बूढ़े माँ बाप को या उनमें से किसी एक को पाया फिर जन्नती न हुआ यानी उनकी ख़िदमत न की, न किसी और तरह उनकी ख़ुशनूदी हासिल की जिसके सबब वह जन्नत का मुस्तहिक़ होता। (मुस्लिम शरीफ़, मिश्कात शरीफ़)

इस वईदे शदीद से माँ बाप की नाफ़रमानी करने वाला सबक़ हासिल करे और अपने अन्जामे बद मा़लूम कर ले।

हदीस न. 2 : हज़रत मोहसिने इन्सानियत स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं वालिदैन की नाफ़रमानी से बचो इसलिए कि जन्नत की ख़ुशबू हज़ार बरस की राह तक आती है और वालिदैन का नाफ़रमान उसकी खुशबू न सूंघेगा और इसी तरह रिशता तोड़ने वाला, बूढ़ा ज़िनाकार और तकब्बुर से अपना तहबन्द टख़नों से नीचे लटकाने वाला भी जन्नत की ख़ुशबू न पाएगा। इसके बाद हुज़ूर ने फ़रमाया बिलाशुबा किबरियाई (बड़ाई) तो सिर्फ़ रब्बुल आ़लमीन को लाएक़ है।

हदीस न. 3 : हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि कबीरा गुनाहों से यह भी है कि कोई शख़्स अपने वालिदैन को गाली दे। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! क्या कोई अपने वालिदैन को भी गाली देता है। हुज़ूर ने फ़रमाया हाँ जबकि वह किसी शख़्स के माँ बाप को गाली दे और जवाब में वह उसके माँ बाप को गाली दे तो गोया उसने खुद ही अपने माँ बाप को गाली दी। (मिशकात शरीफ़)

हदीस न. 4 : हज़रते अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया तीन दुआयें बेशक -ओ- शुबा मक़बूल होने में कोई शक नहीं। मज़लूम की दुआ, मुसाफ़िर की दुआ और वलिदैन की बद्दुआ अपनी औलाद पर। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

लिहाज़ा औलाद को चाहिए कि हमेशा ऐसी हरकत से पहहेज़ करे जिसके सबब वालिदैन को उसके हक़ में बद्दुआ

करनी पड़े और वलिदैन को भी हत्तुल इमकान उन पर बद्दुआ करने से बचना चाहिए वरना मक़बूल होने पर खुद ही पछताना पड़ेगा जैसा कि देखा गया है।

हदीस न. 5 : हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब कोई नेक लड़का अपने वालिदैन की तरफ़ महब्बत की नज़र से देखता है तो अल्लाह तआ़ला उसके लिए हर नज़र के बदले में हजे मबरूर का सवाब लिखता है।

सहाबा किराम ने दरयाफ़्त किया कि या रसूलल्लाह! अगर कोई रोज़ाना सौ बार देखे तो क्या उसको रोज़ाना सौ हज का सवाब मिलेगा? हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बेशक अल्लाह तआ़ला बुज़ुर्ग व बरतर है, उसको यह बात कुछ मुश्किल नहीं।(बैहक़ी, मिश्कात शरीफ़)

हदीस न. 6 : हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बड़े गुनाहों में से है अल्लाह तआ़ला के साथ शिर्क करना, वालिदैन की नाफ़रमानी करना, किसी जान को बिलावजह ईज़ा देना और झूटी क़सम खाना। (मिश्कात शरीफ़ बुख़ारी शरीफ़)

हदीस न. 7 : हज़रते इब्ने अब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मरवी है कि हुज़ूर अनवर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि बिला शुबा क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा अज़ाब वाला वह होगा जिसने किसी नबी को क़त्ल कर दिया या जिसको किसी नबी ने क़त्ल किया हो या जिसने अपने वालिदैन में से किसी एक को क़त्ल किया हो और तसवीर खींचने वालों को और इस आलिम को भी सबसे ज़्यादा अज़ाब होगा जिसने अपने इल्म से नफ़ा न हासिल किया। (दुर्रे मन्सूर)

हदीस न. 8 : हज़रते अबू ज़रीन अक़ीली रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमते अक़दस में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! यक़ीनन मेरे वालिद बहुत बूढ़े हैं जो हज व उमरह और सफ़र की क़ुव्वत व ताक़त नहीं रखते। इरशाद फ़रमाया तुम अपने बाप की तरफ़ से हज व उमरह करो। (मिश्कात शरीफ़)

हदीस न. 9 : हज़रते इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर -ए- अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में एक शख़्स आया और उसने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! मुझसे एक बड़ा गुनाह गया है, क्या मेरी तौबा क़बूल हो सकती है? हुज़ूर ने फ़रमाया क्या तेरी माँ है? अर्ज़ किया नहीं। फिर फ़रमाया क्या तेरी कोई ख़ाला है? अर्ज़ किया हाँ। फ़रमाया तू उसके साथ हुस्ने सुलूक कर। (मिश्कात शरीफ़)

इससे मालूम हुआ कि माँ या ख़ाला के साथ हुस्ने सुलूक करने से बहुत से गुनाह माफ़ हो जाते हैं और इसकी वजह से नेकियों की तौफ़ीक़ मिलती है।

हदीस न. 10 : हज़रते आइशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूले पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया उस शख़्स ने आपने वालिद के साथ अच्छा बरताव नहीं किया जिसने अपने वालिद को तेज़ नज़रों से देखा यानी निगाह से नाराज़गी का इज़हार किया। (तफ़सीर दुर्रे मन्सूर)

हदीस न. 11 : हज़रते अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से [illegible]वायत है कि हुज़ूरे अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि [illegible] ने इरशाद फ़रमाया जो चाहे कि ख़ुदा तआला [illegible] में बरकत करे और [illegible] रिज़्क़ बढ़ाए तो

उसको चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करे और अपने रिशतेदारों से तअल्लुक़ क़ायम करे।

हदीस न. 12 : हज़रते अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूले मुक़द्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम दूसरों की औरतों से परहेज़ करके पाक दामन हो जाओ ऐसा करने से तुम्हारी औरतें पाक दामन रहेंगी और अपने बापों के साथ हुस्ने सुलूक करो ऐसा करने से तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक करेंगे और जिस शख़्स के पास उसको भाई माज़रत चाहता हुआ आए तो उसको माज़रत क़बूल कर लेनी चाहिए चाहे वह हक़ पर हो या नाहक़ पर अगर किसी ने ऐसा किया (यानी माज़रत क़बूल न की) तो वह मेरे हौज़े कौसर पर न आए यानी उसको मेरे हौज़े कौसर से सैराब होने का हक़ नहीं। (मुस्तदरक हाकिम)

मुहम्मद अब्दुल मोबीन नौमानी

इफ़ादाते

आलाहज़रत इमाम अहमद रज़ा .क़ुद्दिसा सिर्रुहू

माँ बाप में किसका हक़ ज़्यादा है

औलाद पर बाप का हक़ निहायत अज़ीम है और माँ का उससे भी ज़्यादा अल्लाह तआला फ़रमाता है :-

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ؕ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّ وَضَعَتْهُ كُرْهًا ؕ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ۝ (پ ۲۶ ع ۲)

तर्जमा : और हमने ताकीद की आदमी को अपने माँ बाप के साथ नेक बर्ताव की, उसे पेट में रखे रही उसकी माँ तकलीफ़ से और जना तकलीफ़ से और उसका पेट में रहना और दूध छुटाना तीस महीने में है। (पारा 26 रूकू 2)

इस आयते करीमा में रब्बुल इज़्ज़त ने माँ बाप दोनों के हक़ में ताकीद फ़रमा कर माँ को फिर ख़ास अलग करके गिना और उसकी उन सख़्तियों और तकलीफ़ों को जो उसे हमल व विलादत और दो बरस तक अपने ख़ून का अत्र पिलाने में पेश आईं जिनकी वजह से उसका हक़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया।

दूसरी आयत में इर्शादे बारी तआला है :-

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِیْ عَامَیْنِ اَنِ اشْكُرْلِیْ وَلِوَالِدَیْكَ ۝ (پ ۲۱ ع ۱۱)

तर्जमा : ताकीद की हमने आदमी को उसके माँ बाप के हक़ पेट में रखा उसे उसकी माँ ने सख़्ती पर सख़्ती उठा कर और उसका दूध छुटाना दो बरस में है यह कि हक़ मान मेरा और अपने माँ बाप का।

यहाँ माँ बाप के हक़ की कोई इन्तहा न रखी कि उन्हें अपने हक़े जलील के साथ शुमार किया फ़रमाता है "शुक्र बजा मेरा और अपने माँ बाप का"

इस आयत की तफ़सीर में हज़रत सुफ़यान सूरी ने फ़रमाया कि जिसने पंजगाना नमाज़ें अदा कीं वह अल्लाह तआला का शुक्र बजा लाया और जिसने पंजगाना नमाज़ों के बाद वालिदैन के लिए दुआयें कीं उसने वालिदैन की शुक्रगुज़ारी की। (ख़ज़ाएनुल इरफ़ान)

ये दोनों आयतें और इसी तरह बहुत सी हदीसें दलील हैं कि माँ का हक़ बाप के हक़ से ज़्यादा है।

हदीस न. 1 : उम्मुल मोमिनीन हज़रते आइशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा फ़रमाती हैं कि मैंने हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की औरत पर सबसे बड़ा हक़ किस का है। फ़रमाया शौहर का। मैंने अर्ज़ की और मर्द पर सबसे बड़ा हक़ किसका है। फ़रमाया उसकी माँ का।

हदीस न. 2 : हज़रते अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं कि एक शख़्स ने हुज़ूर पुर नूर सलावातुल्लाहि तआला व सलामुहू अलैह में हाज़िर होकर अर्ज़ की या रसूलल्लाह! सबसे ज़्यादा कौन इसका मुस्तहिक़ है कि मैं उसके साथ नेक रिफ़ाक़त करूँ। फ़रमाया तेरी माँ। अर्ज़ की फिर। फ़रमाया तेरी माँ। अर्ज़ की फिर। फ़रमाया तेरी माँ।अर्ज़ की फिर। फ़रमाया तेरा बाप। (बुख़ारी व मुस्लिम शरीफ़)

हदीस न. 3 : रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रामाते हैं मैं आदमी को वसीयत करता हूँ उसकी माँ के हक़ में, वसीयत करता हूँ उसकी माँ के हक़ में, वसीयत करता हूँ उसकी माँ के हक़ में, वसीयत करता हूँ उसके बाप के हक़ में।

मगर इस ज़्यादत के यह माअनी हैं कि ख़िदमत देने में बाप पर माँ को तरजीह दे मसलन सौ रूपये हैं और कोई ख़ास वजह नहीं तो बाप को पच्चीस दे माँ को पछत्तर। या माँ बाप दोनों ने एक साथ पानी मांगा तो पहले माँ को पिलाए फिर बाप को --- दोनों सफ़र से आए हैं तो पहले माँ की ख़िदमत करे फिर बाप की और इसी पर क़यास करे और यह न हो कि वालिदैन में एक दूसरे में कुछ तनाज़ा है तो माँ का साथ देकर बाप को तकलीफ़ दे ऐसा न करे या बाप पर किसी तरह सख़्ती या उसे जवाब देना या बेअदबी करना यह सब हराम है और अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला की मासियत में यानी अल्लाह तआला के गुनाह में किसी की इताअत नहीं न माँ की न बाप की उसमें किसी एक का साथ देना हर्गिज़ जाएज़ नहीं। वो दोनों उसकी जन्नत व दोज़ख़ हैं जिसे ईज़ा देगा दोज़ख़ का मुस्तहिक़ होगा। वल अयाज़ु बिल्लाही तआला।

मासियते ख़ालिक़ में किसी की इताअत नहीं मसलन चाहती है कि यह बाप को किसी तरह की तकलीफ़ पहुँचाए यह नहीं मानता तो वह नाराज़ होती है, होने दे और हरगिज़ न माने। ऐसे ही बाप की तरफ़ से माँ के मामले में उसकी नाराज़ियाँ कुछ क़ाबिले लिहाज़ न होंगी कि यह उनकी निरी ज़्यादती है कि उससे अल्लाह तआला की नाफ़रमानी चाहते हैं बल्कि हमारे उल्माए किराम ने यूँ तक़सीम फ़रमाई है कि ख़िदमत में माँ को तरजीह है जिसकी मिसालें हम लिख आए और ताज़ीम बाप की जाएज़ है कि वह उसकी माँ का भी हाकिम व आक़ा है।

हुक़ूक़े वालिदैन बादे इन्तेक़ाल

1. सबसे पहले हक़ बादे मौत उनके जनाज़े की तजहीज़ व गुस्ल व कफ़न व नमाज़ व दफ़न है और इन कामों में सुन्नतों व मुस्तहब बातों का लिहाज़ रखना है जिससे कि उनके लिए हर ख़ूबी व बरकत व रहमत व वुसअत की उम्मीद हो।
2. उनके लिए दुआ व इस्तिग़फ़ार हमेशा करते रहना इससे कभी ग़फ़लत न करना।
3. सद्क़ा व ख़ैरात व अपने नेक आमाल का सवाब उन्हें पहुँचाते रहना, अपनी ताक़त के मुताबिक़ इसमें कमी न करना, अपनी नमाज़ के साथ उनके लिए भी नमाज़ पढ़ना, अपने रोज़ों के साथ उनके वास्ते भी रोज़े रखना बल्कि जो भी नेक काम करे उसका सवाब उन्हें व तमाम मुसलमानों को बख़्श देना कि उन सबको सवाब पहुँच जाएगा और इसके सवाब में कमी न होगी बल्कि बहुत तरक़्क़ीयाँ पाएगा।
4. उन पर कोई क़र्ज़ किसी का हो तो उसके अदा करने में हद दर्जा जल्दी व कोशिश करना और अपने माल से उनके क़र्ज़ अदा होने को दोनों जहान की सआदत समझना। ख़ुद अदा न कर पा रहा हो तो अज़ीज़ों, दोस्तों वग़ैरह से क़र्ज़ अदा करने में मदद लेना।
5. उन पर कोई फ़र्ज़ रह गया हो तो बक़द्रे क़ुदरत उसकी अदा में कोशिश करना, हज न किया हो तो ख़ुद उनकी तरफ़ से हज्जे बदल कराना, ज़कात या उश्र का मुतालबा उन पर रहा हो तो उसे अदा करना, नमाज़ या रोज़ा बाक़ी हो तो उसका कफ़्फ़ारा देना। ग़र्ज़ यह कि उनके ज़िम्मे जो फ़राइज़ वग़ैरह हों उनसे उनको बरी कराने की पूरी कोशिश करना।
6. उन्होंने जो वसीयत जाइज़ व शरई की हो उसको पूरी

करने की पूरी कोशिश करना अगर्चे शरअन अपने ऊपर लाज़िम न हो, अगर्चे अपने ऊपर बार हो मसलन वह आधी जायदाद की वसीयत अपने किसी अज़ीज़ या ग़ैर वारिस या अजनबी के लिए कर गए तो शरअन तिहाई माल से ज़्यादा में बेइजाज़ते वारसान नाफ़िज़ नहीं मगर औलाद को मुनासिब है कि उनकी वसीयत माने और उनकी ख़ुशी पूरी करने को अपनी ख़्वाहिश पर मुक़द्दम जाने।

7. उनके मरने के बाद भी उनकी क़सम सच्ची ही रखना मसलन माँ बाप ने क़सम खाई थी कि मेरा बेटा फ़लाँ जगह न जाएगा, या फ़लाँ काम करेगा तो उनके बाद यह ख़्याल न करना कि अब वह नहीं तो उनकी क़सम का ख़्याल नहीं बल्कि उसका वैसा ही पाबन्द रहना जैसा उनकी ज़िन्दगी में रहता जब तक कोई शरई हर्ज न हो। सिर्फ़ क़सम ही में नहीं बल्कि हर जाइज़ काम में उनकी मर्ज़ी का पाबन्द रहना।

8. हर जुमा को उनकी ज़्यारते क़ब्र के लिए जाना वहाँ सूरए यासीन शरीफ़ ऐसी आवाज़ से कि वह सुनें पढ़ना और उसका सवाब उनकी रूह को पहुँचाना, राह में जब कभी उनकी क़ब्र आए बे-सलाम व फ़ातिहा न गुज़रना।

9. उनके रिशतेदारों के साथ उमर भर नेक सुलूक किए जाना।

10. उनके दोस्तों से दोस्ती निबाहना, हमेशा उनका ऐज़ाज़ व इकराम रखना।

11. कभी किसी के माँ बाप को बुरा कह कर उन्हें बुरा न कहलवाना।

12. सब में सख़्त्तर व आमतर व मदामतर यह हक़ है कि कभी कोई गुनाह करके उन्हें क़ब्र में ईज़ा न पहुँचाना। (यहाँ सख़्त्तर का मतलब यह है कि यह बहुत सख़्त्तर है कि हमेशा गुनाह से बचता रहे आमतर यूँ कि अगर शरीअत प

चलना चहे तो कोई नामुमकिन नहीं बल्कि शरीअत का रास्ता आसान है और मदामतर यानी हमेशा ऐसा करना कि गुनाह न करे और नेकियाँ कर के माँ बाप को उनकी क़ब्र में ख़ुश करता रहे चाहे तो ऐसा कर तो सकता है) उसके सब आमाल की ख़बर माँ बाप को पहुँचती है। नेकियाँ देखते हैं ख़ुश होते हैं और उनका चेहरा फ़रहत से चमकता व दमकता रहता है और गुनाह देखते हैं तो रंजीदा होते है और उनके क़ल्ब पर सदमा होता है। माँ बाप का यह हक़ नहीं कि उन्हें क़ब्र में भी रंज पहुँचाए।

अल्लाह ग़फ़ूरुर्रहीम अज़ीज़ुन करीम जल्ला जलालुहू सदक़ा अपने हबीब व रहीम अलैहि व अला आलिही अफ़ज़लुस्सलातु वत्तस्लीम का हम सब मुसलमानों को नेकियों की तौफ़ीक़ दे गुनाहों से बचाए। हमारे आकबिर की क़ब्रों में हमेशा नूर व सुरूर पहुँचाए कि वह क़ादिर है और हम आजिज़, वह ग़नी है हम मौहताज।

अब उन बाज़ हदीसों का ज़िक्र किया जाता है जिनसे यह अहकाम निकाले गए हैं।

हदीस न. 1 : एक अनसारी रद़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ख़िदमते अक़दस हुज़ूर पुर नूर सय्यदे आलम स़ल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम में हाज़िर होकर अर्ज़ की या रसूलल्लाह! माँ बाप के इन्तेक़ाल के बाद कोई तरीक़ा उनके साथ नेकी का बाक़ी है जिसे मैं बजा लाऊँ। फ़रमाया कि हाँ चार बातें हैं उन पर नमाज़ और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत और उनकी वसीयत नाफ़िज़ करना और उनके दोस्तों की ताज़ीम और जो रिशता सिर्फ़ उन्हीं की तरफ़ से हो नेक बर्ताव से उसका क़ाएम रखना यह वह नेकी है कि उनकी मौत के बाद भी उनके साथ करनी बाक़ी है।

(इब्ने नज्जार, सुनन, बैहक़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, इब्ने हब्बान)

हदीस न. 2 : रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व़सल्लम फ़रमाते हैं कि माँ बाप के साथ नेक सुलूक से यह बात है कि औलाद उनके बाद उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करे। (इब्ने नज्जार)

हदीस न. 3 : रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि आदमी जब माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है उसका रिज़्क़ कता हो जाता है।(तबरानी व दैलमी)

हदीस न. 4 व 5 : रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि जब तुममे कोई शख़्स नफ़्ल ख़ैरात करे तो चाहिए कि उसे अपने माँ बाप की तरफ़ से करे कि उसका सवाब उन्हें मिलेगा और उसके सवाब से कुछ न घटेगा। (तबरानी व दैलमी)

हदीस न. 6 : एक सहाबी रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने हाज़िर होकर अर्ज़ की या रसूलल्लाह! मैं अपने माँ बाप के साथ ज़िन्दगी में नेक सुलूक करता था अब वह मर गए उनके साथ नेक सुलूक की क्या राह है फ़रमाया बादे मर्ग नेक सुलूक से यह है कि तू अपनी नमाज़ के साथ उनके लिए भी नमाज़ पढ़े और अपने राज़ों के साथ उनके लिए भी रोज़े रखे।

यानी जब अपने लिए सवाब मिलने के लिए कुछ नफ़्ल नमाज़ पढ़े या रोज़े रखे तो कुछ नफ़िल नमाज़ उनकी तरफ़ से कि उन्हें सवाब पहुँचाए या नमाज़ रोज़ा जो भी नेक अमल करे साथ ही उन्हें भी सवाब पहुँचाने की नियत कर ले कि उन्हें भी सवाब मिलेगा और तेरा भी कम न होगा।

हदीस न. 7 : मुहीत फिर तातारख़ानिया में फिर दुर्रे मुख़्तार में है कि जो कुछ नफ़्ल सदक़ा करना चाहे उसके लिए अफ़ज़ल है कि तमाम मोमिनीन व मोमिनात की नियत कर ले कि उसका सवाब उन तक पहुँचेगा और उसके सवाब में कुछ कमी न होगी।

हदीस न. 8 : रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि जो अपने माँ बाप की तरफ़ से हज करे या उनका क़र्ज़ अदा करे रोज़े क़यामत नेकों के साथ उठेगा। (तबरानी, दार कुतनी,)

हदीस न. 9 : अमीरुल मोमिनीन फ़ारूके आज़म रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु पर अस्सी हज़ार क़र्ज़ थे। वक़्ते वफ़ात अपने साहबज़ादे हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा को बुला कर फ़रमाया कि मेरे दैन में अव्वल तो मेरा माल बेचना अगर काफ़ी हो जाए तो ठीक वर्ना मेरी क़ौम बनी अ़दी से मांग कर पूरा करना अगर यूँ भी पूरा न हो तो क़ुरैश से मांगना और उनके सिवा औरों से सवाल न करना।

फिर साहबज़ादे से फ़रमाया कि तुम मेरे क़र्ज़ की ज़मानत कर लो। वह ज़ामिन हो गए और अमीरुल मोमिनीन के दफ़न से पहले अकाबिर मुहाजरीन और अन्सार को गवाह कर लिया कि वह अस्सी हज़ार मुझ पर हैं। एक हफ़्ता न गुज़रा था कि हज़रते अब्दुल्लाह रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने वह सारा क़र्ज़ अदा फ़रमा दिया।

हदीस न. 10 : क़बीला जुहैना से एक बीबी रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हा ने ख़िदमते अक़दस हुज़ूर सय्यदे आलम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम में हाज़िर होकर अर्ज़ की या रसूलल्लाह! मेरी माँ ने हज करने की मन्नत मानी थी वह अदा न कर सकीं और उनका इन्तेक़ाल हो गया क्या उनकी तरफ़ से हज कर लूँ। फ़रमाया हाँ उसकी तरफ़ से हज करो भला तू देख तो तेरी माँ पर अगर दैन होता तो तू अदा करता या नहीं यूँ ही ख़ुदा का दैन अदा कर कि वह ज़्यादा हक़्क़े अदा रखता है। (बुख़ारी शरीफ़)

हदीस न. 11 : रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि इन्सान जब अपने वालिदैन की तरफ़

से हज करता है वह हज उसके और उन सब की तरफ़ से क़बूल किया जाता है और उनकी रूहें आसमान में उससे शाद होती हैं और यह शख़्स अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला के नज़दीक माँ बाप के साथ नेक सुलूक करने वाला लिखा जाता है। (दार .कुतनी)

हदीस न. 12 : रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि जो अपने माँ बाप की तरफ़ से हज करे, उनकी तरफ़ से हज अदा हो जाए और उसे दस हज का सवाब ज़्यादा मिले। (दार .कुतनी)

हदीस न. 13 : रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि जो शख़्स अपने माँ बाप के बाद उनकी क़सम सच्ची करे और उनका क़र्ज़ अदा करे और किसी के माँ बाप को बुरा कह कर उन्हें बुरा न कहलवाए वह वालिदैन के साथ नेकोकार लिखा जाता है अगर्चे उनकी ज़िन्दगी में नाफ़रमान था और जो उनकी क़सम पूरी न करे और उनका क़र्ज़ अदा न करे, औरों के वालिदैन को बुरा कह कर उन्हें बुरा कहलवाए वह आक़ लिखा जाएगा अगर्चे उनकी हयात में नेकोकार था। (तबरानी शरीफ़)

हदीस न. 14 : रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि जो अपने माँ बाप दोनों या एक की क़ब्र पर हर जुमे के दिन ज़्यारत को हाज़िर हुआ। अल्लाह तआ़ला उसके गुनाह बख़्श दे और माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करने वालों में लिखा जाए। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

हदीस न. 15 व 16 : रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि जो शख़्स जुमा के रोज़ अपने वालिदैन या एक की ज़्यारते क़ब्र करे और उसके पास सूरए यासीन पढ़े बख़्श दिया जाएगा।

जो हर जुमा वालिदैन या एक की ज़्यारते क़ब्र कर

के वहाँ सूरए यासीन पढ़े, यासीन शरीफ़ में जितने हुरूफ़ हैं उन सब की गिनती के बराबर अल्लाह तआ़ला उसके लिए मग़फ़िरत फ़रमाए।

हदीस न. 17 : रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि जो ब-नियत सवाब अपने वालिदैन दोनों या एक की ज़्यारते क़ब्र करे तो यह एक हजे मबरूर के बराबर सवाब पाएगा और जो वालिदैन या एक की ज़्यारते क़ब्र बकसरत किया करता हो, फ़रिशते उसकी क़ब्र की ज़्यारत को आयें। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

हिकायत : इमाम इब्नुल जौज़ी मुहद्दिस किताब 'उयूनुल हिकायात' में बसनदे ख़ुद मुहम्मद इब्नुल अब्बास वर्राक़ से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स अपने बेटे के साथ सफ़र को गया। राह में बाप का इन्तेक़ाल हो गया वह जंगल दरख़्ताने मक़ल यानी गुगल के पेड़ों का था। उनके नीचे दफ़न करके बेटा जहाँ जाता था चला गया। जब पलट कर आया तो उस मन्ज़िल में रात को पहुँचा और बाप की क़ब्र पर न गया। नागाह सुना कि कोई कहने वाला कहता है "मैंने तुझे देखा कि तू रात में इस जंगल से गुज़र रहा है और वह जो उन पेड़ों में है (यानी तेरा बाप) उससे कलाम करना अपने ऊपर लाज़िम नहीं जानता हालांकि इन दरख़्तों में वह मुक़ीम है कि अगर उसकी जगह तू होता और वह यहाँ गुज़रता तो राह से फिर कर आता और तेरी क़ब्र पर सलाम करता"

हदीस न. 18 : रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि जो चाहे कि बाप की क़ब्र में उसके साथ नेक सुलूक करे वह बाप के बाद उसके अज़ीज़ों दोस्तों से नेक बर्ताव रखे।

हदीस न. 19 : रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि बाप के साथ नेकोकारी से है कि तू उसके दोस्तों से अच्छा बर्ताव रखे।

हदीस न. 20 : रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि बेशक बाप के साथ नेकोकारियों से बढ़कर नेकोकारी है कि आदमी बाप के बाद उसके दोस्तों से अच्छी रविश पर बना है। (बुख़ारी, अहमद, अबू दाऊद)

हदीस न. 21 : रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि अपने माँ बाप की दोस्ती पर निगाह रख उसे क़ता न करना कि अल्लाह नूर तेरा बुझा देगा। (बुख़ारी, तबरानी, बैहक़ी)

हदीस न. 22 : रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि हर दोशम्बा पंजशम्बा को अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला के हुज़ूर आमाल पेश होते हैं और अम्बियाए किराम अलैहिमस्सलातु वस्सलाम और माँ बाप के सामने हर जुमा को। वह नेकियों पर ख़ुश होते हैं और उनके चेहरों की सफ़ाई व चमक बढ़ाई जाती है तो अल्लाह से डरो और अपने मुर्दों को अपने गुनाहों से रंज न पहुँचाओ।

बिल जुमला वालिदैन का हक़ वह नहीं कि इन्सान उससे कभी ओहद बरआ हो जाए यानी उनका हक़ कभी अदा हो ही नहीं सकता। वह उसकी हयात व वुजूद के सबब हैं तो जो कुछ नेमतें दीनी व दुनयवी पाएगा सब उन्हीं के तुफ़ैल में कि हर नेमत व कमाल वुजूद पर मौक़ूफ़ है और वुजूद के सबब वो (यानी वालिदैन) हुए तो सिर्फ़ माँ बाप होना ही ऐसा अज़ीम हक़ का मूजिब है जिससे कभी बरीउज़्ज़िमा नहीं हो सकता, नाकि उसके साथ उसकी परवरिश में उसकी कोशिश, उसके आराम के लिए उनकी तकलीफ़ें ख़ुसूसन पेट में रखना, पैदा होना, दूध पिलाने में माँ की तकलीफ़ें उनका शुक्र कहाँ तक अदा हो सकता है। ख़ुलासा यह है कि वह उसके लिए अल्लाह व रसूल जल्लाजलालुहू व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साए और उनकी

रुबूबियत व रहमत के मज़हर है। लिहाज़ा .कुरआने अज़ीम में अल्लाह जल्लाजलालुहू ने अपने हक़ के साथ उनका हक़ ज़िक्र फ़रमाया कि :-

اَنِ اشْكُرْلِیْ وَلِوَالِدَیْكَ ٥ (پ١٢ ع١١)

तर्जमा : हक़ मान मेरा और अपने माँ बाप का। (पारा 21 रुकू 11)

हदीस शरीफ़ में है कि एक सहाबी रदि़यल्लाहु तआला अन्हु ने हाज़िर होकर अर्ज़ की या रसूलल्लाह! एक राह में ऐसा गर्म पत्थर पर कि अगर गोश्त उन पर डाला जाता कबाब जो जाता मैं छः मील तक अपनी माँ को अपनी गर्दन पर सवार कर के ले गया हूँ क्या मैं अब उसके हक़ से अदा हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि "तेरे पैदा होने में जिस क़द्र दर्द के झटके उसने उठाए हैं शायद उनमें से एक झटके का बदला हो सकता है। (तबरानी, औसत)

यहाँ तक .कुरआन और हदीसों के हवाले से आपने माँ बाप के मर्तबे को समझा। अब मज़ीद कुछ ख़ूबसूरत हैडिंग के साथ माँ बाप के हुक़ूक़ और फ़ज़ाइल आते हैं और उनकी नाफ़रमानी पर जो वईदें आई है उनका बयान आता है जो कि इन्हीं हदीसों और कुछ दूसरी हदीसों और रिवायात से साबित हैं।

माँ बाप की नाफ़रमानी का वबाल

माँ बाप की नाफ़रमानी अल्लाह जब्बार व क़ह्हार की नाफ़रमानी है और उनकी नाराज़ी अल्लाह क़ह्हार की नाराज़ी है। आदमी माँ बाप को राज़ी करे तो वह उसकी जन्नत हैं और नाराज़ करे तो वही उसकी दोज़ख़ हैं। जब तक माँ बाप को राज़ी न करेगा उसका कोई फ़र्ज़ कोई नफ़्ल कोई अमल

नेक असलन क़बूल नहीं होगा। अज़ाबे आख़िरत के अलावा दुनिया में ही जीते जी सख़्त बला नाज़िल होगी, मरते वक़्त मआज़ अल्लाह कलिमा नसीब न होने का ख़ौफ़ है। हदीस शरीफ़ में है :-

हदीस न. 1 : रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि अल्लाह की इताअत वालिद की इताअत है और अल्लाह की मासियत (नाफ़रमानी) वालिद की मासियत है। (तबरानी अन अबी हुरैरा रद़ियल्लाहु तआला अन्हु)

हदीस न. 2 : रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि अल्लाह की रज़ा वालिद की रज़ा है और अल्लाह की **नाराज़ी** वालिद की नाराज़ी है।

(तिर्मिज़ी व इब्ने हब्बान व हाकिम अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआला अन्हुमा)

हदीस न. 3 : रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि माँ बाप तेरी जन्नत और तेरी दोज़ख़ हैं। (इब्ने माजा अन अबी हुरैरा रद़ियल्लाहु तआला अन्हु)

हदीस न. 4 : रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि वालिद जन्नत के सब दरवाज़ों में बीच का दरवाज़ा है अब तू चाहे तो उस दरवाज़े को अपने हाथ से खो दे ख़्वाह निगाह रख। (तिर्मिज़ी व इब्ने हब्बान अन अबी दरदा रद़ियल्लाहु तआला अन्हु)

हदीस न. 5 : रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि तीन शख़्स जन्नत में न जायेंगे **माँ बाप की नाफ़रमानी करने वाला, दय्यूस और वह जो मर्दानी** वज़ह बनाए।

(निसाई व बज़्ज़ाज़ व हाकिम अन इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआला अन्हु)

हदीस न. 6 : रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि तीन शख़्स का कोई फ़र्ज़ व नफ़्ल अल्लाह तआला क़बूल नहीं फ़रमाता आक़, सदक़ा देकर ऐहसान जताने वाला और हर नेकी व बदी को तक़दीरे इलाही से न मानने वाला।

हदीस न. 7 : रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि सब गुनाहों की सज़ा अल्लाह तआला चाहे तो क़यामत के लिए उठा रखता है **मगर माँ बाप की नाफ़रमानी कि उसके जीते जी सज़ा पहुँचाता है।**

हदीस न. 8 : रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि क्या मैं तुम्हें न बताऊँ की सब कबीरा गुनाहों से सख़्त्तर गुनाह क्या है, क्या न बताऊँ कि सब कबाइर से बदतर क्या है, न बताऊँ कि सब कबीरों से शदीदतर क्या है? अल्लाह का शरीक ठहराना और माँ बाप को सताना। (तिर्मिज़ी शरीफ़)

हदीस न. 9 : रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि मलऊन है जो अपने वालिदैन को सताए, मलऊन है जो अपने वालिदैन को सताए, मलऊन है जो अपने वालिदैन को सताए। (तबरानी व हाकिम अन अबी हुरैरा)

हदीस न. 10 : एक नौजवान नज़ा में था। कलिमा तलक़ीन किया गया न कह सका। नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ख़बर हुई तशरीफ़ ले गए। फ़रमाया कह "लाइलाहाइल्लल्लाह" कहा मुझसे नहीं कहा जाता। फ़रमाया क्यूँ? अर्ज़ किया गया वह शख़्स अपनी माँ को सताता था। रहमते आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसकी माँ को (जो नाराज़ थी) बुला कर फ़रमाया यह तेरा बेटा है? अर्ज़ की हाँ। फ़रमाया भला सुन तो अगर एक अज़ीमुश्शान आग भड़काई जाए और कोई तुझसे कहे कि तू इसकी शफ़ाअत करे जब तो हम इसे छोड़ते हैं वर्ना जला देंगे, क्या उस वक़्त तू इसकी शफ़ाअत करेगी। अर्ज़ की या रसूलल्लाह जब तो शफ़ाअत करूँगी। फ़रमाया जब तो

अल्लाह को और मुझे गवाह कर ले कि तू इससे राज़ी हो गई। उसने अर्ज़ की इलाही मैं तू और तेरे रसूल को गवाह करती हूँ कि मैं अपने बेटे से राज़ी हुई। अब सय्यदे आलम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने जवान से फ़रमाया ऐ लड़के कह :-

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗo

जवान ने कलिमा पढ़ा और इन्तेक़ाल किया। रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया :-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْقَذَهٗ بِىْ مِنَ النَّارِo

तर्जमा : शुक्र उस ख़ुदा का जिसने मेरे वसीले से इसको दोज़ख़ से बचाया। (तबरानी शरीफ़)

हिकायत : हज़रत अव्वाम इब्ने हौशब रह़मतुल्लाहि तआ़ला अ़लैह जो कि अजल्लाए अइम्मा तबऐ ताबईन में से हैं हिजरी 148 में इन्तेक़ाल किया, फ़रमाया मैं एक मुहल्ले में गया उसके किनारे पर क़ब्रस्तान था अस्र के वक़्त एक क़ब्र शक़ हुई और उसमें से एक आदमी निकला जिसका सर गधे का और बाक़ी बदन इन्सान का। उसने तीन आवाज़े गधे की तरह कीं और फिर क़ब्र बन्द हो गई एक बुढ़िया बैठी सूत कात रही थी। एक औरत ने मुझसे कहा उन बड़ी बी को देखते हो। मैंने कहा इसका क्या मामला है? कहा यह उस क़ब्र वाले की माँ है, वह शराब पीता था जब शाम को आता माँ नसीहत करती कि ऐ बेटे ख़ुदा से डर कब तक इस नापाक को पिएगा। यह जवाब देता तू गधे की तरह चिल्लाती है? यह शख़्स अस्र के बाद मरा जब से हर रोज़ बादे अस्र उसकी क़ब्र शक़ होती और यूँ ही तीन आवाज़े गधे की होकर के बन्द हो जाती है।

वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक जिहाद और हिजरत से अफ़ज़ल है

वालिदैन के साथ नेकोकारी को हुज़ूरे अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने जिहाद फ़ीसबीलिल्लाह पर फ़ज़ीलत दी है।

हदीस न. 1 : हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है वह फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! कौन सा अमल सबसे ज़्यादा अल्लाह तआ़ला को महबूब है। फ़रमाया वक़्त पर नमाज़ अदा करना। मैंने कहा फिर? फ़रमाया वालिदैन के साथ नेकी। मैंने कहा फिर? फ़रमाया अल्लाह की राह में जिहाद। (अबू दाऊद व निसाई)

वालिदैन के साथ नेकी सिर्फ़ यही नहीं कि उनके हुक्म की पाबन्दी की जाए और उनकी मुहाफ़ज़त न की जाए बल्कि उनके साथ नेकी यह भी है कि कोई ऐसा काम न करे जो उनको नापसन्द हो अगर्चे ख़ास तौर पर उसके लिए उनका कोई हुक्म न हो इसलिए कि उनकी फ़रमाबरदारी और उनको ख़ुश रखना दोनों वाजिब हैं और नाफ़रमानी और नाराज़ करना हराम है।

हदीस न. 2 : हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा फ़रमाते हैं एक शख़्स हुज़ूरे अक़दस स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि मैं आपसे हिजरत और जिहाद पर बैअत कर रहा हूँ और ख़ुदा से अज्र का तालिब हूँ। हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने दरयाफ़्त फ़रमाया क्या तुम्हारे वालिदैन में से कोई ज़िन्दा है? उसने अर्ज़ किया

दोनों ज़िन्दा हैं। फिर फ़रमाया ख़ुदा से अज्र चाहते हो? उसने अर्ज़ किया हाँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अपने वालिदैन के पास लौट जा और उनके साथ ठीक से रह। (मुस्लिम शरीफ़)

हदीस न. 3 : और आप ही से एक दूसरी रिवायत है कि एक शख़्स हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया मैं आप से हिजरत पर बैअत करने आया हूँ और अपने वालिदैन को रोता छोड़ कर आया हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तू अपने वालिदैन के पास जा और उनको हंसा जैसा कि तूने उनको रुलाया है।

हदीस न. 4 : हज़रते अबू सईद ख़ुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि यमन [illegible] ने वाला एक शख़्स हिजरत कर के हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ। हुज़ूर ने फ़रमाया कि क्या तुम्हारा यमन में कोई है। उसने अर्ज़ किया मेरे माँ बाप हैं। हुज़ूर ने फ़रमाया कि क्या उन्होंने तुम्हें इजाज़त दी है? कहा नहीं। फ़रमाया तो उनके पास लौट जा और इजाज़त तलब कर अगर वह इजाज़त दें तो फिर जिहाद कर वर्ना उनके साथ हुस्ने सुलूक में मशग़ूल रह।

हदीस न. 5 : हज़रते मुआविया इब्ने जाहिमा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि वह हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! मैंने जिहाद का इरादा कर लिया है और आपसे मशवरे के लिए आया हूँ। हुज़ूर ने फ़रमाया क्या तुम्हारी माँ है। अर्ज़ किया हाँ। फ़रमाया तो उसकी ख़िदमत कर बेशक जन्नत उसके क़दमों के पास है।

हदीस न. 6 : तबरानी की रिवायत में है कि मैं हुज़ूर

सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आया कि जिहाद के बारे में मशवरा लूँ तो हुज़ूर ने दरयाफ़्त किया क्या तुम्हारे वालिदैन मौजूद हैं। मैंने कहा हाँ। फ़रमाया तो उन्हीं की ख़िदमत में रह इसलिए कि जन्नत उन्हीं के क़दमों के नीचे है। (निसाई, इब्ने माजा, हाकिम, मुस्लिम शरीफ़)

हदीस न. 7 : हज़रते तलहा इब्ने मुआविया सलमी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है फ़रमाते हैं मैं हुज़ूर नबीए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैं जिहाद फ़ीसबीलिल्लाह (अल्लाह के लिए जिहाद) का इरादा रखता हूँ। हुज़ूर ने दरयाफ़्त फ़रमाया तेरी माँ ज़िन्दा है? मैंने अर्ज़ किया हाँ। फ़रमाया उसके क़दमों को लाज़िम पकड़ो वहीं जन्नत है।

और देखिए ख़ैरुल ताबईन बशहादत सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुसल्लम [illegible] सय्येदिना उवैस क़रनी रदियल्लाहु तआला अन्हु [illegible] कि आपकी वालिदा की ख़िदमत और उनके साथ हुस्ने [illegible] ने ही हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ऐनी से रोक दिया।

वालिदैन की फ़रमाबरदारी

औलाद का फ़र्ज़ है कि अपनी माँ की इताअत और फ़रमाबरदारी करे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी ताकीद फ़रमाई है।

हदीस : हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि एक दिन मैंने बारगाहे [illegible] में अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ! मेरी एक बीवी है जिससे मुझे बहुत महब्बत है लेकिन मेरे वालिद (फ़ारूक़े आज़म) उसे मेरे

लिये पसन्द नहीं करते और मजबूर करते हैं कि तलाक़ दे दूँ। यह सुनकर अल्लाह के रसूल स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया। ऐ अब्दुल्लाह तुम उसको तलाक़ दे दो। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद)

हदीस का मतलब यह है कि जब तुम्हारे माँ बाप कहते हैं कि उसको तलाक़ दे दो तो वालिदैन की फ़रमाबरदारी का तक़ाज़ा यही है कि माँ बाप का कहना मानो और उसको तलाक़ दे दो। इस हदीस से माँ बाप की फ़रमाबरदारी की अहमियत ज़ाहिर है ।

हदीस : हज़रत अबू उमामा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि एक शख़्स ने अल्लाह के रसूल स़ल्लल्लाहु तआ़ला [illegible] वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया या [illegible]ाह औलाद पर माँ बाप का क्या हक़ है ? अल्लाह के रसूल स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि वह दोनों तेरी जन्नत भी हैं और दोज़ख़ भी। (सुनन, इब्ने माजा)

हदीस का मतलब यह है कि तू अपने वालिदैन की फ़रमाबरदारी करेगा तो जन्नत में जायेगा और नाफ़रमानी करेगा तो दोज़ख़ में सज़ा पायेगा।

औलाद को चाहिये कि अपने माँ बाप की फ़रमाबरदारी करे ताकि उनकी दुआओं से दुनिया में फले फूले और आख़िरत में जन्नत की हक़दार बनें ।

माँ की नाफ़रमानी ह़राम है

हदीस : हज़रत मुग़ीरह रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बेशक अल्लाह तआ़ला ने तुम लोगों पर माओं की नाफ़रमानी हराम की है

इस हदीस से मालूम हुआ कि माँ की नाफ़रमानी ह़राम

है जो शख़्स अपनी माँ की नाफ़रमानी करता है वह हराम काम करता है और बहुत बड़ा गुनाहगार है और क़यामत के दिन बड़ी सजा का हक़दार होगा ।

वालिदैन की नाफ़रमानी बहुत बड़ा गुनाह है

हदीस : हज़रत अबूबक्र रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला वसल्लम ने फ़रमाया क्या मैं तुम लोगों को बड़े से बड़े गुनाहों से आगाह न करूँ। सहाबए किराम ने अर्ज़ किया हज़ूर .ज़ुरूर आगाह फ़रमायें। आपने फ़रमाया कि .ख़ुदा के साथ किसी को शरीक बनाना और माँ बाप की नाफ़रमानी करना यह दोनों बहुत बड़े गुनाह हैं। फिर आप बैठ गये और फ़रमाया कि झूठी गवाही देना भी बहुत बड़ा गुनाह है। (तिर्मिज़ी)

इस हदीस में अल्लाह के रसूल स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने वालिदैन की नाफ़रमानी को शिर्क और कुफ़्र के साथ ज़िक्र फ़रमा कर यह बताया है कि वालिदैन की नाफ़रमानी बदतरीन गुनाह है।

नाफ़रमान औलाद जन्नत से महरूम है

हदीस : हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मन्नान (यहाँ मन्नान से मुराद दिखावे के तौर पर ऐहसान जताने वाला है), माँ बाप का नाफ़रमान और शराबी ये तीन शख़्स जन्नत में दाख़िल न होंगे।(निसाई)

नाफ़रमान औलाद की इससे ज़्यादा बदनसीबी क्या होगी कि मरने के बाद जन्नत और जन्नत की नेमतों से महरूम रहेगी, ऐसे लोगों को चाहिए इस हदीस के मज़मून पर ग़ौर करें अपने बदनसीबी पर आँसू बहाऐ और अपने माँ बाप की फ़रमाबरदारी करें।

वालिदैन की नाफ़रमानी की सज़ा दुनिया में भी मिलेगी

हदीस : हजरत अबूबक्र रद़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल स़ल्ललल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि .ख़ुदा (शिर्क और कुफ़्र के अलावा) जिस गुनाह को चाहेगा बख़्श देगा मगर वालिदैन की नाफ़रमानी को नहीं बख़्शेगा बल्कि मौत से पहले दुनिया में भी सजा देगा।(बैहक़ी)

रात दिन का मुशाहिदा है कि जो लोग अपने माँ बाप की नाफ़रमानी करते हैं अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी सज़ा देता है और उन पर ज़िल्लत व .ख़्वारी डाल देता है।

वालिदैन की ख़िदमतगुज़ारी

औलाद को लाज़िम है कि अपने माँ बाप की ख़िदमत करे और उनकी ख़िदमतगुज़ारी को अपने हक़ में अच्छा समझे। हदीस से साबित है कि रसूल-ए-पाक का फ़रमान है कि वालिदैन की ख़िदमत नफ़ली इबादत से बेहतर है।

हदीस : हज़रत मुआविया सल्मी रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत है कि मेरे वालिद ने बारगाहे रिसालत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया "या रसूलल्लाह ! 'मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ' अल्लाह के रसूल स़ल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरयाफ़्त किया कि तुम्हारी वालिदा ज़िन्दा हैं कि नहीं? उन्होंने बताया कि मेरी वालिदा मौजूद हैं। यह सुन कर अल्लाह के रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया तू माँ की ख़िदमत कर इसलिए कि जन्नत उसके क़दमों के पास है

हदीस : हज़रत अबू सईद .ख़ुदरी रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि एक शख़्स यमन से हिजरत करके मदीने शरीफ़ आ गया जब अल्लाह के रसूल स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो हुज़ूर ने उसकों बुला कर दरयाफ़्त किया कि यमन में तुम्हारे रिश्तेदार हैं या नहीं उसने बताया कि वहाँ मेरे वालिदैन हैं। हुजूर ने दरयाफ़्त किया कि उन्होंने तुमको यहाँ आने की इजाज़त दी है कि नहीं? उसने कहा इजाज़त तो नहीं दी। हुज़ूर ने फ़रमाया तुम वापस जाओ और उनकी ख़िदमत करो। (अबू दाऊद)

इन दोनों हदीसों से मालूम हुआ कि वालिदैन की ख़िदमतगुज़ारी नफ़ली जिहाद और हिजरत से बेहतर है।

वालिदैन की .ख़ुशनूदी

औलाद को चाहिये कि अपने माँ बाप को ख़ुश रखे, अल्लाह के रसूल स़ल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि .ख़ुदा की .ख़ुशनूदी वालिदैन की .ख़ुशनुदी और रज़ामन्दी पर मौक़ूफ़ है।

हदीस : हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हुम से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल स़ल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि .ख़ुदा की .ख़ुशनुदी बाप की ख़ुशनुदी में है और उसकी नाराज़गी बाप की नाराज़गी में है।

इस हदीस से मालूम हुआ कि माँ बाप की .ख़ुशनुदी और रज़ामंदी से .ख़ुदा .ख़ुश होता है और उनकी नाराज़गी से .ख़ुदा नाराज़ हो जाता है लिहाज़ा औलाद का फ़र्ज़ है कि

अपने माँ बाप को .खुश रखने की कोशिश करे ताकि अल्लाह तआ़ला और रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम की ख़ुशनुदी हासिल हो सके।

हदीस : हज़रत अबू दरदा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने अल्लाह के रसूल स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को यूँ फ़रमाते सुना है कि जन्नत के दरवाज़ों में से बेहतरीन दरवाज़ा बाप है, तुझे इख़्त्यार है कि तू उसकी हिफ़ाज़त करे या ज़ाय कर दे। (जामेअ तिर्मिज़ी)

इस हदीस का मतलब ज़ाहिर है कि माँ बाप की ख़ुशनूदी जन्नत हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है

वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक

औलाद का फ़र्ज़ है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्ने-सुलूक से पेश आये और उनके एहसानात को फ़रामोश न करे। माँ हमल (गर्भ) के ज़माने से बच्चे की पैदाइश के वक़्त तक कैसी-कैसी मशक़्क़तें और तकलीफ़ें उठाती है फिर जब बच्चा पैदा होता है तो उसको .खूने जिगर पिलाकर पालती और परवरिश करती है, .खुद तक्लीफ़ें उठाती और बच्चे को आराम पहुँचाती है।

इसी तरह बाप औलाद को महब्बत से खिलाता पिलाता और तमाम .जुरूरियाते ज़िन्दगी की किफ़ालत करता है। पसीना बहाकर जो कुछ कमाता है उसे औलाद पर .खर्च करता है। बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि ख़ुद भूखा रहता है लेकिन औलाद का पेट भरता है, गर्ज़ यह है कि वालिदैन बड़ी बड़ी परेशानियाँ झेल कर औलाद को पालते और परवरिश करते हैं, इसी लिये अल्लाह तआ़ला ने .कुरआन करीम में बार बार इरशाद फ़रमाया है कि :-

وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

तर्जमा : माँ बाप से नेक सुलूक करो। (पारा 2 रूकू 10)

सही हदीस से साबित है कि औलाद के नेक सुलूक के सबसे ज़्यादा हक़दार माँ बाप ही हैं

हदीस : हज़रत अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि एक शख़्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से दरयाफ़्त किया या रसूलल्लाह मेरे नेक सुलूक का कौन ज़्यादा हक़दार है? अल्लाह के रसूल स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया तेरी वालिदा। उसने पूछा फिर कौन? आपने फ़रमाया तेरी वालिदा। उसने कहा फिर कौन? आपने फ़रमाया तेरी वालिदा। जब उसने चौथी बार पूछा तो हुज़ूर ने फ़रमाया फिर अपने बाप से नेक सुलूक कर फिर जो जितना करीब हो।

हदीस : हजरते मिक़दाम रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि मैंने अल्लाह के रसूल स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को यूँ फ़रमाते हुए सुना है कि ऐ लोगों अल्लाह तआ़ला तुमको हुक्म देता है कि तुम अपनी माँ के साथ अच्छा सुलूक किया करो फिर दोबारा सुन लो कि अल्लाह तआ़ला तुमको हुक्म देता है कि तुम अपनी माँ के साथ अच्छा सुलूक किया करो, उसके बाद तुमको ये भी हुक्म देता है कि तुम बाप के साथ अच्छा सुलूक करो।

(अल अदबुलमुफ़्रद)

चूकि माँ कमोवेश नौ महीने तक बच्चे को पेट में रखती है फिर पैदाइश के वक़्त वज़ए हमल की तकलीफ़ उठाती है फिर दो बरस तक छाती से लगा कर दूध पिलाती है। इस लिये औलाद के हुस्ने सुलूक की बाप की बनिसबत माँ ज़्यादा मुस्तहिक़ है, इसी बिना पर दोनों हदीसों में अल्लाह के रसूल स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हुस्नेसुलूक के सिलसिले में माँ को पहले ज़िक्र फ़रमाया है।

हदीस : हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत है कि मैनें अल्लाह के रसूल स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से दरयाफ़्त किया या रसूलल्लाह! कौन सा अमल अल्लाह तआ़ला को ज़्यादा पसन्द है? हुज़ूर ने फ़रमाया वक़्त पर नमाज़ पढ़ना। मैनें पूछा फिर कौन सा अमल? हुज़ूर ने फ़रमाया अपने माँ बाप के साथ नेकी करना। मैने दरयाफ़्त किया फिर कौन सा अमल? हुज़ूर ने फ़रमाया "राहे .खुदा में जिहाद करना।" (बुख़ारी शरीफ़)

इस हदीस से मालूम हुआ कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना जेहाद (नफ़्ली) से बेहतर है।

औलाद को लाज़िम है कि माँ बाप को अपने लिए .खुदा की नेमत समझे उनकी क़द्र करे और उनसे महब्बत का बर्ताव करे। रसूले पाक का इरशाद है कि माँ बाप को महब्बत भरी नज़र से देखने में हजे मबरूर (यानी वह हज जो अल्लाह तआ़ला की बारगाह में मक़बूल हो) के बराबर अज्रो सवाब मिलता है।

बालिदैन की बद्दुआ का असर

औलाद को चाहिए माँ बाप को हमेशा .खुश रखने की कोशिश करे और कोई ऐसा काम न करे जिससे उनका दिल दुखे और उनकी ज़बान से बद्दुआ निकले और औलाद की बरबादी का सबब बने। सही हदीस है कि माँ बाप की बद्दुआ बड़ी जल्दी क़बूल होती है।

हदीस : हज़रते अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हू से रिवायत है कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि " तीन दुआयें बिला शक -ओ- शुबा मक़बूल हैं मज़लूम की दुआ, मुसाफ़िर की दुआ और वालिदैन की बद्दुआ अपनी औलाद पर "

इस हदीस से मालूम हुआ कि माँ बाप की बद्दुआ बिला शुबा क़बूल होती है। औलाद को चाहिए कि माँ बाप की बद्दुआ से डरे और कोई ऐसा काम ने करे जिससे उनके दिल को सदमा पहुँचे बल्कि उनको ख़ुश रखने की कोशिश करे और उनसे नेक दुआयें हासिल करे।

एक आबिद का वाक़िया : रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बनी इसराईल में जुरैज नामी एक आबिद था जो निहायत ही मुत्तक़ी और परहेज़गार था। एक दिन उसकी माँ उससे मिलने आई और इबादतख़ाने के दरवाज़े पर आवाज़ दी। आबिद ने माँ की आवाज़ सुनी मगर दरवाज़ा न खोला और इबादत में मशग़ूल रहा। माँ उस वक़्त वापस चली गई। फिर दूसरे और तीसरे दिन भी आई और बेटे को पुकारा लेकिन आबिद ने दरवाज़ा न खोला। वह मामता की मारी वापस हुई और उसकी ज़बान से यह बद्दुआ निकली कि ऐ अल्लाह इसको मरने से पहले ज़ानी औरतों की सूरत दिखा दे।

उस ज़माने में वहाँ एक हसीना थी। उसने जुरैज को गुनाह में मुलव्विस करना चाहा और एक दिन इसी इरादे से तन्हाई के वक़्त इबादतख़ाने में दाख़िल हो गई लेकिन अल्लाह तआ़ला ने आबिद की हिफ़ाज़त फ़रमाई। जब आबिद ने उसकी तरफ़ कोई तवज्जो न की तो वह अपनी नाकामी पर शर्मिन्दा होकर इबादतख़ाने से बाहर निकली और रास्ते में उसने एक चरवाहे से मुँह काला किया और हामला हो गई। जब बच्चा पैदा हुआ और उससे दरयाफ़्त किया गया तो उसने आबिद को बदनाम किया और कहा कि यह जुरैज आबिद का बच्चा है। जब वहाँ लोगों को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने .गुस्से में आबिद को मारा पीटा और इबादतख़ाने को तोड़ डाला।

आबिद ने लोगों से कहा कि तुम लोग मुझे क्यूँ मारते हो? लोगों ने बताया कि फ़लाँ औरत के बच्चा पैदा हुआ है, वह कहती है कि बच्चा तेरा है। यह सुनकर आबिद ने कहा उस बच्चे को यहाँ लाओ और ख़ुद नमाज़ की नियत बांध कर खड़ा हो गया। जब नमाज़ से फ़ारिग़ हुआ तो उसने देखा के एक दूध पीता बच्चा उस बदकार औरत की गोद में मौजूद है। आबिद ने उस बच्चे को मुख़ातिब करके पूछा कि ऐ बच्चे तेरा बाप कौन है? अल्लाह तआ़ला ने उस बच्चे को बोलने की ताक़त अता फ़रमाई और उस बच्चे ने कहा कि मेरी माँ ने तुम पर तोहमत लगाई है और मेरा बाप फ़लाँ चरवाहा है। दूध पीते बच्चे की ज़बान से यह बात सुनकर तमाम लोग तअज्जुब में रह गये और आबिद की करामत से मुतास्सिर होकर सबने अपनी ग़लती की माफ़ी मांगी और यह दरख़्वास्त की कि अगर इजाज़त हो तो हम सब मिलकर आपका इबादतख़ाना सोने का बना दें। आबिद ने मना किया और कहा कि मेरा इबादतख़ाना जैसा था वैसा ही बना दो।

एक रिवायत में यह भी है कि वह आबिद मुस्कुराया। जब लोगों ने उससे मुस्कुराने का सबब पूछा तो उसने कहा कि यह जो कुछ हुआ मेरी माँ की बद्दुआ का नतीजा था, वर्ना कुछ भी न था। औलाद को चाहिए कि माँ बाप की बद्दुआ से डरती रहे और ऐसा कोई काम न करे जिससे उसके वालिदैन को सदमा पहुँचे।

वालिदैन के लिये दुआ व इस्तिग़फ़ार

माँ बाप के इन्तेक़ाल के वाद उनके साथ हुस्ने सुलूक (अच्छे बरताव) की सूरत यह है कि औलाद उनके लिये दुआ व इस्तिग़फ़ार और उनके दोस्तों के साथ नेक सुलूक करती रहे।

हदीस : हज़रत अबू उसैद साइदी रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि एक दिन हम लोग हुज़ूर की ख़िदमत में बैठे हुये थे कि अचानक एक शख़्स हाज़िर हुआ और उसने पूछा या रसूलल्लाह वालिदैन के इन्तक़ाल के वाद अब कोई सूरत है कि मैं उनसे नेक सुलूक करूँ। अल्लाह के रसूल स़ल्लल्लाहु तआ़ला अलैह वसल्लम ने फ़रमाया हाँ वालिदैन के लिये दुआ व इस्तिग़फ़ार करना और उनके दोस्तों की इज़्ज़त करना (यही उनसे नेक सुलूक है)

हदीस : हजरते अनस रद़ियल्लाहु तआ़ला से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब कोई नाफ़रमान लड़का अपने वालिदैन के इन्तक़ाल के बाद अपनी नाफ़रमानियों पर नादिम होकर उनके लिये दुआ व इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह तआ़ला उसका नाम भी फ़रमाबरदारों में लिख देता है। (बैहक़ी)

वालिदैन को गाली देना

किसी को गाली देना हराम है। किसी को गाली देकर अपने माँ बाप को गाली दिलवाना अपने माँ बाप को गाली देना जैसा है।

हदीस : सही मुस्लिम व बुख़ारी में अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि यह बात कबीरा गुनाहों में है कि आदमी अपने वालिदैन को गाली दे। लोगों ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह! क्या कोई अपने वालिदैन को भी गाली देता है। फ़रमाया हाँ इसकी सूरत यह है कि ये दूसरे के बाप को गाली देता है वह इसके बाप को गाली देता है और यह दूसरे की माँ को गाली देता है और वह इसकी माँ को गाली देता है।

सहाबा किराम जिन्होंने अरब का ज़मानए जाहिलियत देखा था उनकी समझ में नहीं आया कि अपने माँ बाप को कोई क्यूँकर गाली देगा यानी यह बात उनकी समझ से बाहर थी। हुज़ूर ने बताया कि मुराद दूसरे से गाली दिलवाना है। अफ़सोस हज़ार बार अफ़सोस कि आज ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो ख़ुद ही अपने माँ बाप को गाली देते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि वह अपना ठिकाना कहाँ बना रहे है। अल्लाह पाक हम मुसलमानों को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि अपने माँ बाप को गाली खिलवाने से बचें।

फ़रमांबरदार के लिए फ़रमाबरदार

अगर कोई यह चाहता है कि उसकी औलाद और उसकी औरत फ़रमाबरदार हो तो उसे चाहिए कि वह अपने माँ बाप का फ़रमाबरदार हो जाए।

हदीस : हज़रते अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूले मुक़द्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम दूसरों की औरतों से परहेज़ करके पाक दामन हो जाओ ऐसा करने से तुम्हारी औरतें पाक दामन रहेंगी और अपने बापों के साथ हुस्ने सुलूक करो ऐसा करने से तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक करेंगे और जिस शख़्स के पास उसका भाई माज़रत चाहता हुआ आए तो उसको माज़रत क़बूल कर लेनी चाहिए चाहे वह हक़ पर हो या नाहक़ पर अगर किसी ने ऐसा किया (यानी माज़रत क़बूल न की) तो वह मेरे हौज़े कौसर पर न आए यानी उसको मेरे हौज़े कौसर से सैराब होने का हक़ नहीं।(मुस्तदरक हाकिम)

अल्लाह तआला मुसलमान बच्चों और नौजवानों को अपने माँ बाप की फ़रमाबरदारी, इताअत शिआरी और ख़िदमतगुज़ारी को तौफ़ीक़ अता फ़रमाये। आमीन।

हुक़ूक़े उस्ताज़

चूंकि उस्ताद बाप ही का दर्जा रखता है बल्कि बाज़ वजहों से उसका दर्जा बाप से ज़्यादा है इसलिए अब उस्ताद के हुक़ूक़ का मुख़्तसर बयान किया जाता है।

फ़तावा आलमगीरी में नेज़ इमाम हाफ़िज उद्दीन कुरूरी से है कि फ़रमाया इमाम ज़न्दवीस्ती ने आलिम का हक़ जाहिल पर और उस्ताद का हक़ शागिर्द पर यकसाँ है और वह यह कि उससे पहले बात न करे --- और उसके बैठने की जगह उसकी ग़ैरमौजूदगी में भी न बैठे --- उसकी बात को रद्द न करे --- और चलने में उससे आगे न बढ़े।

उसी में 'ग़राइब' से है :-

आदमी को चाहिए कि अपने उस्ताद के हुक़ूक़ व आदाब का लिहाज़ रखे अपने माल में किसी चीज़ से उसके साथ बुख़्ल (कंजूसी) न करे। (यानी जो कुछ उसे दरकार हो बख़ुशी उसे हाज़िर करे और उसके क़बूल कर लेने में उसका ऐहसान और अपनी सआदत जाने)

इसी में 'तातारख़ानिया' से है :-

उस्ताद के हक़ को अपने माँ बाप और तमाम मुसलमानों के हक़ से मुक़द्दम रखे और जिसने उसे अच्छा इल्म सिखाया अगर्चे एक ही हर्फ़ पढ़ाया हो उसके लिए तवाज़ो करे और लाएक़ नहीं कि किसी वक़्त उसकी मदद से बाज़ रहे। अपने उस्ताद पर किसी को तरजीह न दे अगर ऐसा करेगा तो उसने इस्लाम की रस्सियों से एक रस्सी खोल दी। उस्ताद की ताज़ीम से है कि वह घर के अन्दर हो और यह हाज़िर हो तो उसका दरवाज़ा न खटखटाए बल्कि उसके बाहर आने का इन्तेज़ार करे।

अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ وَلَوْ اَنَّهُمْ
صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

तर्जमा : बेशक जो तुम्हें हुजरों के बाहर से पुकारते हैं। उनमें अकसर बेअक़्ल हैं और अगर वह सब्र करते यहाँ तक कि तुम उनके पास तशरीफ़ लाते तो यह उनके लिए बेहतर था और अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है।

आलिमे दीन हर मुसलमान के हक़ में उमूमन और उस्ताद इल्मे दीन अपने शागिर्द के हक़ ख़ुसूसन हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाइब है। हाँ अगर किसी ख़िलाफ़े शरा बात का हुक्म दे तो हरगिज़ न करे। चूँकि हदीस शरीफ़ में है कि ख़ुदा की नाफ़रमानी में किसी की इताअत नहीं। मगर उसे न मानने पर भी गुस्ताख़ी व बेअदबी से पेश न आए। हदीस शरीफ़ में है कि बुराई बुराई से दूर नहीं होती। उस्ताद का वह हुक्म जो ख़िलाफ़े शरा हो वह हुक्म मानने से अलग है यानी उसे करने का हुक्म नहीं। शागिर्द को चाहिए किसी भी तरह ख़ुशामद वग़ैरा से उससे माफ़ी चाह ले। उस्ताद का हुक्म अगर मुबाह है (यानी अगर ऐसी बात का हुक्म उस्ताद ने दिया जिसको शरीअत ने न कहा न मना किया) है तो जहाँ तक हो सके वह हुक्म बजा लाए और इस हुक्म बजा लाने को अपनी सआदत जाने और नाफ़रमानी का हुक्म मालूम हो चुका कि उसने इस्लाम की गिरहों से एक गिरह खोल दी।

उलमा फ़रमाते हैं कि जिससे उसके उस्ताद को किसी तरह की ईज़ा पहुँचे वह इल्म की बरकत से महरूम रहेगा और उसके अहकाम वाजिबाते शरिइया हैं यानी उस्ताद ने कोई वाजिब हुक्म दिया तब तो ज़ाहिर है कि उनका हुक्म और ज़्यादा बजा लाना ज़रूरी हो गया और ऐसे वक़्त पर

नाफ़रमानी जहन्नम की राह है। वल अयाज़ु बिल्लाहि तआला।

उस्ताद की नाशुक्री बढ़ी भयानक बला और मर्ज़े क़ातिल है जिससे इल्म की बरकत ज़ाइल हो जाती है।

हुज़ूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि जिसने लोगों का शुक्र न अदा किया वह ख़ुदा का भी शुक्रगुज़ार नहीं।

अल्लाह तआला फ़रमाता है :-

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ ۝

तर्जमा : अगर ऐहसान मानोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा और अगर नाशुक्री करो तो मेरा अज़ाब सख़्त है।

और फ़रमाया अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला ने :-

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ

तर्जमा : बेशक अल्लाह दोस्त नहीं रखता हर बड़े दग़ाबाज़ सख़्त नाशुक्रे को।

और फ़रमाया अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला ने :-

هَلْ نُجْزِيْ اِلَّا الْكَفُوْرَ ۝ (پ٢٢ ع٨)

तर्जमा : हम किसे सज़ा देते हैं उसे जो नाशुक्रा है।

सरवरे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया " जिस पर किसी ने ऐहसान किया उसने सिवा तारीफ़ के उसका और कोई एवज़ न पाया तो बेशक उसने अपने मुहासिन का शुक्रिया अदा कर दिया और जिसने उसको छुपा लिया और कोई तारीफ़ भी न की तो ज़रूर उसने नाशुक्री की"

उस्ताज़ की नाशुक्री व नाक़दरी बाप के साथ नाफ़रमानी का हुक्म रखती है, उस्ताद बमन्ज़िले बाप होता है।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं " मैं तुम्हारा बाप ही हूँ कि तुमको इल्म सिखाता हूँ "

बल्कि उल्मा ने फ़रमाया है कि उस्ताद का हक़ वालिदैन के हक़ पर मुक़द्दम रखे कि उनसे जिस्मानी ज़िन्दगी वाबस्ता है और उस्ताद रूहानी ज़िन्दगी का सबब है और ख़ुद वालिदैन की नाफ़रमानी का वबाल सख़्त है। इसलिए कि हुज़ूर ने इसको शिर्क के साथ बयान फ़रमाया है। इरशाद है " हुज़ूर ने तीन मरतबा फ़रमाया कि मैं तुमको सबसे बड़ा गुनाह न बता हूँ " सहाबा ने अर्ज़ की हाँ क्यूँ नहीं या रसूलल्लाह। फ़रमाया " ख़ुदा के साथ किसी को शरीक करना और वालिदैन की नाफ़रमानी "

और ख़ुद इस बाब में इस क़द्र हदीसें हैं कि दफ़्तर दरकार हैं। नीज़ उस्ताद की नाशुक्री व तहक़ीर .ग़ुलाम के अपने आक़ा के भाग जाने के बराबर है जिसका वबाल हदीस में निहायत सख़्त बताया गया है कि (भागा हुआ .ग़ुलाम जब तक अपने आक़ा के पास न आए ख़ुदा उसका फ़र्ज़ क़बूल करता है न नफ़्ल)

हज़रत मौलाए आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया " जिसने किसी बन्दे को किताबुल्लाह की कोई एक आयत सिखा दी तो वह उसका आक़ा हो गया "

अमीरुल मोमिनीन रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु फ़रमाते हैं कि " जिसने कि मुझे एक हर्फ़ पढ़ा दिया तो बतहक़ीक़ उसने मुझको अपना बन्दा बनाया अगर चाहे बेचे और अगर चाहे आज़ाद क़[illegible] "

हज़रत इमाम शमसुद्दीन सख़ावी (मक़ासिदे हसना) में मुहद्दिस शोअबा इब्ने हुज्जाज रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैह से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फ़रमाया जिससे कि मैंने चा

पाँच हदीसें लिख लीं तो मैं उसका बन्दा हो गया यहाँ तक कि मैं मरूँ "

और दूसरे अलफ़ाज़ के साथ फ़रमाया " जिस किसी से एक हदीस भी लिखी तो मैं उसका बन्दा हो गया आख़िरी दम तक "

हज़रते अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया " इल्म हासिल करो और इल्म के लिए सुकून व वक़ार सीखो और जिससे तुम इल्म हासिल कर रहे हो उसके सामने तवाज़ो और आजिज़ी इख़्तेयार करो "

औलाद के हुक़ूक़

जिस तरह औलाद पर फ़र्ज़ है कि अपने माँ बाप के हुक़ूक़ अदा करे इसी तरह माँ बाप को लाज़िम है कि वह भी अपनी औलाद के हुक़ूक़ अदा करने से ग़ाफ़िल न रहें। वालिदैन को चाहिये कि अपनी औलाद को प्यार और महब्बत से परवरिश करें, इस्लाम में औलाद की महब्बत पसंदीदा और मरग़ूब है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम को भी अपनी औलाद से बेहद महब्बत थी।

मसअला : अज़ सोरों ज़िला एटा मुहल्ला मुल्क ज़ादगान मुरसला मिर्ज़ा हामिद हुसैन साहब 7 जमादिल उला हिजरी 1310

क्या फ़रमाते हैं उल्माए दीन इन मसाइल में बाप पर बेटे का हक़ किस क़द्र है --- अगर है और वह न अदा करे तो उसके वास्ते हुक्म शरई क्या है तफ़सीली बयान फ़रमायें।

अलजवाब : अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला ने अगर्चे वालिद का हक़ वल्द (बेटा) पर निहायत आज़म बनाया यहाँ तक कि अपने हक़ के बराबर उसका ज़िक्र फ़रमाया कि اَنِ اشْكُرْ لِیْ وَلِوَالِدَیْكَ (तर्जमा : हक़ मान मेरा और अपने बाप का।) मगर बेटों का हक़ भी बाप पर अज़ीम रखा है कि ... नदे मुंतलक़ फिर ख़ुसूस जवाज़ फिर ख़ुसूस .क़ुराबत फिर ख़ुसूस अयाल इन सब हुक़ूक़ का जामेअ होकर सबसे ज़्यादा ख़ुसूसियत ख़ासा रखता है और जिस क़द्र ख़ुसूस बढ़ता जाता है हक़ की ताकीद ज़्यादा हो जाती है। उल्माए किराम ने अपनी कुतुबे जलीला मिस्ल इहयाओ उलूम व ऐनुल मुदख़ल व कीमियाए सआदत व ज़ख़ीरतुल मुल्क वग़ैरा में हुक़ूक़े वल्द से निहायत मुख़्तसर तौर पर कुछ तअर्रुज़ फ़रमाया मगर मैं सिर्फ़ अहादीसे मर्फ़ूआ हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम की तरफ़ तवज्जो करता हूँ। फ़ज़्ले इलाही

जल्ला वाला से उम्मीद है कि फ़क़ीर की यह चन्द हर्फ़ी तहरीर नाफ़ेअ व जामेअ व वाक़ेअ होकर इस की नज़ीर कुतुबे मुतव्वला में न मिले। इस बारे में जिस क़द्र हदीसें बिहम्दुलिल्लाहि तआ़ला इस वक़्त मेरे हाफ़िज़े व नज़र में हैं तफ़सील के साथ लिखूँ तो एक रिसाला होता है और ग़र्ज़ सिर्फ़ इफ़ादह व अहकाम लिहाज़ा सरे दस्त वह हुक़ूक़ जो हदीसें इरशाद फ़रमा रहीं हैं मुख़्तसरन बयान होतीं है। वबिल्लाहि तौफ़ीक़।

1. सबसे पहला हक़ औलाद के वजूद से भी पहले यह है कि आदमी अपना निकाह रज़ील कम क़ौम से न करे कि बुरी रग .ज़ुरूर रंग लाती है।
2. दीनदार लोगों में शादी करे कि बच्चे पर नाना मामू की आदात व अफ़आल का भी असर पड़ता है।
3. जंगियों, हबशियों में .क़ुराबत न करे कि माँ का स्याह रंग बच्चे को बद्नुमा कर दे।
4. जिमा (बीवी से हमबिस्तरी) की शुरूआत 'बिस्मिल्लाह' से करे वर्ना बच्चे में शैतान शरीक हो जाता है।
5. जिमा के वक़्त औरत की शर्मगाह पर नज़र न करे कि बच्चे के अन्धे होने का अन्देशा है।
6. जिमा के वक़्त ज़्यादा बातें न करे कि बच्चे के गूंगे या तोतले होने का ख़तरा है।
7. जिमा के वक़्त औरत और मर्द दोनों कपड़ा ओढ़ लें जानवरों की तरह बरहना न हों कि बच्चे के बेहया होने का ख़तरा है।
8. जब बच्चा पैदा हो फ़ौरन सीधे कान में अज़ान बायें कान में तकबीर कहे कि शैतान के ख़लल और उम्मुस्सिबयान (मिर्गी की क़िस्म की एक बीमारी) से बचे।
9. पैदा हुए बच्चे को छुहारा वग़ैरा कोई मीठी चीज़ चबाकर उसके मुँह में डाले कि हलावत (मिठास) से अख़लाक़ की फ़ाले हसन हो।
10. बच्चा पैदा होने के सातवें और न हो सके तो चौधवें वर्ना इक्कीसवें दिन अक़ीक़ा करे। लड़की के लिए एक बकरी और लड़के

के के लिए दो कि इसमें बच्चे को गोया रहन से छुड़ाना है।
के के लिए दो कि इसमें बच्चे को गोया रहन से छुड़ाना है। बच्चे की तरफ़ से शुक्राना है।
11. एक रान दाई को दे कि बच्चे की तरफ़ से शुक्राना है।
12. सर के बाल (पेट के बाल यानी सबसे पहले बाल) उतरवाए।
13. बालों के बराबर चांदी तोल कर ख़ैरात करे।
14. पेट के बाल उतरवाने के बाद सर पर ज़ाफ़रान लगाए।
15. नाम रखे यहाँ तक कि कच्चे बच्चे का भी जो कम दिनों का गिर जाए वर्ना अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला के यहाँ शाकी (शिकायत करने वाला) होगा।
16. बुरा नाम न रखे कि बद् फ़ाले बद् है।
17. अब्दुल्लाह, अब्दुल रहीम, अहमद, हामिद वग़ैरह इबादत व हम्द के (यानी अल्लाह तआला के जो नमा अब्द के साथ रखे जाते हैं) या अम्बिया औलिया या अपने बुज़ुर्गों में जो नेक लोग गुज़रे हों उनके नाम पर नाम रखे कि बरकत होगी। खुसूसन नामे पाके मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) कि इस मुबारक नाम की बेपायाँ बरकत बच्चे की दुनिया व आख़िरत में काम आती है।
18. जब मुहम्मद नाम रखे तो उसकी ताज़ीम व तकरीम करे।
19. जिसका नाम मुहम्मद रखे मजलिस में उसके लिए जगह छोड़े।
20. जिसका नाम मुहम्मद रखे उसको मारने बुरा कहने में ऐहतियात रखे।
21. जो मांगे मुनासिब हो तो उसे दे।
22. प्यार से छोटे लक़ब पर बेक़द्रे नाम न रखे कि पड़ा हुआ नाम मुश्किल से छूटता है।
23. माँ ख़्वाह नेक दाया नमाज़ी स्वालेहा शरीफ़ुल क़ौम से दो साल तक दूध पिलवाए।
24. रज़ील या बद्अफ़आल औरत के दूध से बचाए कि दूध तबीअत को बदल देता है।
25. बच्चे का नफ़्क़ा उसकी हाजत के सबब सामान मुहइया करना खुद वाजिब है जिनमें बच्चे की परवरिश भी दाख़िल है।
26. अपनी ज़रूरत व अदा के बाद वाजिबाते शरीअत से जो बचे

उसमें अज़ीज़ों क़रीबों मौहताजों ग़रीबों से ज़्यादा हक़ औलाद का है जो उनसे बचे वह औरों को पहुँचे।
27. बच्चे को पाक कमाई से पाक रोज़ी दे कि नापाक माल नापाक ही आदत लाता है।
28. औलाद के साथ तन्हाई-ख़ोरी न बरते बल्कि अपनी ख़्वाहिश का ताबेअ रखे जिस अच्छी चीज़ को उनका जी चाहे उन्हें दे कर उनके तुफ़ैल में आप भी खाए ज़्यादा न हो तो उन्हीं को खिलाए।
29. ख़ुदा की इन नेमतों (यानी औलादों) के साथ मेहरबानी का बर्ताव रखे उन्हें महब्बत व प्यार दे।
30. उनकी दिलजोई दिलदारी रिआयत मुहाफ़िज़त हर वक़्त हत्ता कि नमाज़ व ख़ुतबे में मलहूज़ रखे।
31. नया मेवा नया फल पहले उन्हीं को दे कि वह भी ताज़े फल हैं नए को नया मुनासिब है।
32. कभी कभी शीरीनी वग़ैरह जितनी मुक़द्दर हो सके दे। खाने पीने खेलने की अच्छी चीज़ कि शरअन जाइज़ हो देता रहे।
33. बहलाने के लिए झूटा वादा न करे बल्कि बच्चे से भी वादा वही जाइज़ है जिसके पूरा करने का इरादा रखता हो।
34. अपने चन्द बच्चे हों तो जो चीज़ दे सब को बराबर और यकसाँ दे। एक को दूसरे पर बेफ़ज़ीलते दीनी तरजीह न दे।
35. सफ़र से आए तो उनके लिए कुछ न कुछ तोहफ़ा ज़ुरूर लाए।
36. बीमार हों तो इलाज करे।
37. जहाँ तक हो सके सख़्त व मूज़ी इलाज से बचाए।
38. ज़बान खुलते ही 'अल्लाह अल्लाह' फिर 'लाइलाहाइल्लल्लाह' फिर पूरा कलिमए तय्यबा सिखाए।
39. जब तमीज़ आए अदब सिखाए, खाने पीने हंसने बोलने उठने चलने फिरने हया लिहाज़ बुज़ुर्गों की ताज़ीम माँ बाप उस्ताद और बेटी को शौहर की भी इताअत के तरीक़ व अदब बताए।

40. .कुरआन मजीद पढ़ाए।
41. उस्ताद नेक स्वालेह मुत्तक़ी सहीहुल अक़ीदा सने रसीदा के सुपुर्द करे और बेटी को नेक पारसा औरत से पढ़वाए।
42. .कुरआन ख़त्म कराने के बाद हमेशा तिलावत की ताकीद करता रहे।
43. अक़ाइदे इस्लाम व सुन्नत सिखाए कि लौहे सादा (यानी सादा ज़हन) फ़ितरते इस्लामी व क़बूले हक़ पर मख़लूक़ है इस वक़्त का बताया पत्थर की लकीर होता है। कहने का मतलब यह है कि बचपन ही में अक़ाएद की पुख़्तगी करा दे कि बचपन में बताई बात हमेशा को ज़हन में बैठ जाती है।
44. हुज़ूर -ए- अक़दस रहमते आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महब्बत व ताज़ीम उनके दिल में डाले कि अस्ल ईमान व ऐन ईमान है।
45. हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आल व अस्हाब व औलिया व उल्मा की महब्बत व अज़मत तालीम करे कि अस्ल सुन्नत व ईमान का ज़ेवरे बल्कि ईमान की बक़ा व सलामती की वजह हैं।
46. सात बरस की उमर से नमाज़ की ज़बानी ताकीद शुरू करे।
47. इल्में दीन ख़ुसूसन वुज़ू, .गुस्ल व नमाज़ व रोज़ा के मसाइल, तवक्कल (अल्लाह पर भरोसा) व क़नाअत (सब्र), ज़ोहदे इख़लास, तवाज़ो, अमानत, सिद्क़ (सच्चाई की तालीम), अद्ल, हया, सलामत सद्रो लिसान (दिल और ज़बान की सलामती) वग़ैरह ख़ूबियों के फ़ज़ाइल हिरस व लालच, हुब्बे जाह, हुब्बे दुनिया, रिया (दिखावा), उजुब, तकब्बुर, ख़यानत, झूट, .जुल्म, फ़हश व ग़ीबत, हसद, कीना वग़ैरह बुराईयों के ज़वाइल पढ़ाए यानी इनकी बुराईयों से आगाह करे।
48. पढ़ाने सिखाने में नर्मी मलहूज़ रखे।
49. मौक़े पर चशमनुमाई तम्बीह व तहदीद करे यानी सख़्ती

करे मगर कोसना न दे कि उसका कोसना उनके लिए सबबे इस्लाह न होगा बल्कि और ज़्यादा फ़साद को अन्देशा है।
50. मारे तो मुँह पर न मारे।
51. अकसर औक़ात तहदीद व तख़्वीफ़ (डराना) पर क़ानेअ रहे कि कोड़ा .कुमची उसकी पेशे नज़र रहे कि दिल में रोब रहे यानी डंडे वग़ैरह से उसको डराता भी रहे।
52. ज़मानए तालीम में एक वक़्त खेलने का भी दे कि तबीअत पर निशात बाक़ी रहे।
53. मगर हर्गिज़ हर्गिज़ बुरी सोहबत में न बैठने दे कि यारे बद मारे बद (बुरे सांप) से बदतर है।
54. हरगिज़ हरगिज़ बहारे दानिश, मीना बाज़ार, मसनवी ग़नीमत वग़ैरह इश्क़बाज़ी की किताबें, फ़िस्क़िया ग़ज़लें न देखने दे कि नर्म लकड़ी जिधर झुकाए झुक जाती है। सही हदीस शरीफ़ से साबित है कि लड़कियों को सूरए यूसुफ़ शरीफ़ का तर्जमा न पढ़ाए कि उसमें औरतों के मकर का ज़िक्र फ़रमाया है फिर बच्चों को ख़ुराफ़ात शाइराना में डालना कब बजा हो सकता है।
55. जब दस बरस का हो नमाज मार कर पढ़ाए।
56. इस उमर में अपने ख़्वाह किसी के साथ न सुलाए, जुदा बिछौना जुदा पलंग पर अपने पास रखे।
57. जब जवान हो शादी कर दे शादी में वही रिआयत क़ौम व दीन व सीरत व सूरत मलहूज़ रखे।
58. अब जो ऐसा काम कहना हो जिसमें नाफ़रमानियों का ऐहतमाल हो उसे हुक्म न देकर बतौर मशवरा कहे कि कहीं हुक्म को मना करके नाफ़रमानी की बला में न फंस जाए।
59. उसे मीरास से महरूम न करे जैसे बाज़ लोग अपने किसी वारिस को न पहुँचने की ग़र्ज़ से कुल जाएदाद दूसरे वारिस या किसी ग़ैर के नाम लिख देते हैं।

60. अपने मरने के बाद भी उनकी फ़िक्र रखे यानी कम से कम दो तिहाई तर्का छोड़ जाए कि तिहाई से ज़्यादा ख़राब न करे।

यह साठ तो बेटा व बेटी सब के हैं बल्कि दो हक़ आख़िर में सब वारिस शरीक और ख़ास बेटे के हुक़ूक़ से

61. लिखना।
62. तैरना।
63. सिपहगीरी सिखाए।
64. सूरए माएदा ही तालीम दे।
65. ऐलान के साथ उसका ख़तना करे।

ख़ास बेटी के हुक़ूक़ से है कि

66. उसके पैदा होने पर नाख़ुशी न करे बल्कि नेमत इलाहिया जाने।
67. सीना, पिरोना, कातना, खाना पकाना सिखाए।
68. सूरए नूर की तालीम दे।
69. लिखना हरगिज़ न सिखाए कि फ़ितने का ख़तरा है।
70. बेटों से ज़्यादा उनकी दिलजोई और ख़ातिरदारी रखे कि उनका दिल बहुत थोड़ा होता है।
71. देने में उन्हें और बेटों को कांटे की तौल बराबर रखे।
72. जो चीज़ दे पहले उन्हें देकर बेटों को दे।
73. नौ बरस की उमर से न अपने पास सुलाए न भाई वग़ैरह के पास सोने दे।
74. इस उमर से (यानी नौ बरस की उम्र से) ख़ास निगेहदाश्त शुरू करे।
75. शादी बरात में जहाँ गाना नाच हो हरगिज़ न जाने दे अगर्चे ख़ास अपने भाई के यहाँ हो कि गाना सख़्त संगीन जादू है और इन नाज़ुक शीशियों को थोड़ी ठेस बहुत है बल्कि बेगानों में जाने की मुतलक़न बन्दिश करे घर को उन पर क़ैदख़ाना कर दे यानी शरीअत की हदों में क़ैद कर दे यानी जहाँ जिस तरह शरीअत ने हुक्म दिया बस उतनी ही आज़ादी दे।

76. बालाख़ानों में न रहने दे।
77. घर में लिबास व ज़ेवर से आरास्ता करे कि पयाम रग़बत के साथ आयें।
78. जब कुफ़्फ़ू मिले निकाह में देर न करे।
79. हत्तुल इमकान बारह बरस की उम्र में ब्याह दे। (कहने का मतलब यह है कि जब लड़की बालिग़ हो जाए जल्द से जल्द उसका निकाह कर दे) हर्गिज़ हगिज़ किसी फ़ासिक़ फ़ाजिर ख़ुसूसन बदमज़हब के निकाह में न दे।

ये अस्सी हक़ हैं कि इस वक़्त की नज़र में अहादीस मरफ़ूआ से ख़्याल में आए। इनमें से अकसर तो मुस्तहेबात हैं जिनके तर्क पर असलन मुवाख़िज़ा नहीं और बाज़ पर आख़िरत में मुतालबा हो मगर दुनिया में बेटे के लिए बाप पर गिरफ़्त व जब्र नहीं, न बेटे को जाइज़ कि बाप से लड़ाई झगड़ा करे सिवा चन्द हुक़ूक़ के कि उनमें जब्र व चारहजोई व ऐतराज़ को दख़ल है यानी ऐतराज़ वग़ैरह कर सकता है :-

1. नफ़्क़ा कि बाप पर वाजिब हो और वह न दे तो हाकिम जबरन मुक़र्रर करेगा न माने तो क़ैद किया जाएगा हालांकि अगर कोई दैन आ रहा है तो वालिदैन को क़ैद नहीं किया जाएगा।
2. रज़ाअत कि माँ के दूध न हो तो दाई रखना। बेतन्ख़्वाह न मिले तो तन्ख़्वाह देना। न दे तो जबरन ली जाएगी जबकि बच्चे का अपना माल न हो। यूँहीं माँ तलाक़ के बाद व इद्दत के बाद बेतन्ख़्वाह दूध न पिलाए तो उसे भी तन्ख़्वाह दी जाएगी।
3. हज़ानत (हज़ानत उस मुद्दत को कहते हैं जिस मुद्दत तक औलाद माँ के पास रहती है) कि लड़का सात बरस का लड़की नौ बरस की उम्र तक जिन औरतों मसलन माँ, नानी व दादी, बहन, ख़ाला, फूफी के पास रखे जायेंगे अगर उनमें से कोई बेतन्ख़्वाह न माने और बच्चा फ़क़ीर है और बाप ग़नी है तो जबरन तन्ख़्वाह दिलाई जाएगी।

4. हज़ानत ख़त्म हो जाने के बाद बच्चे को अपनी हिफ़ाज़त में लेना बाप पर वाजिब है।
5. औलाद के लिए तर्का बाक़ी रखना कि बादे हक़्क़े विरासत के तअल्लुक़ के मर्ज़ुल मौत (मर्ज़ुल मौत उस मर्ज़ को कहते हैं जिसमें मौत हो जाए) की हालत में मूरिस (मूरिस उसे कहते हैं कि जिसका तर्का बट रहा हो) वसीयत करने पर मजबूर होता है लिहाज़ा अगर तिहाई से ज़्यादा में वसीयत करे तो उसकी यह वसीयत बग़ैर वारिसों की इजाज़त के लागू न होगी। (मसलन दादा अगर पोते या पोती के लिए तिहाई से ज़्यादा की वसीयत करता है जिसका कि हुक्म नहीं है तो इस वसीयत पर औलाद को ऐतराज़ करने का हक़ है)
6. अपने नाबालिग़ बच्चे लड़का या लड़की को ग़ैर कुफ़ू से या महरे मिस्ल में ग़ब्ने फ़ाहिश (महर के मामले में खुला धोका देना यानी बहुत कम या ज़्यादा कर देना) के साथ ब्याह देना मसलन लड़की का महरे मिस्ल हज़ार है पांच सौ पर निकाह कर देना या बहू का महरे मिस्ल पाँच सौ है हज़ार बांध लेना या लड़के का निकाह किसी बांदी से या लड़की का किसी ऐसे शख़्स से जो मज़हब या नसब या पेशे या अफ़आल या माल में वह नुक़्स रखता हो जिसकी वजह से उससे निकाह अच्छा न समझा जाता हो। एक बार तो ऐसा निकाह किया हुआ बाप का नाफ़िज़ होता है जबकि नशे में न हो मगर दोबारा अपनी किसी नाबालिग़ का ऐसा निकाह करेगा तो असलन सही न होगा। जैसा कि हमने किताबुन्निकाह फ़तावा रज़विया में बयान किया।
7. ख़तना में भी एक सूरत जब्र की है कि अगर किसी शहर के लोग छोड़ दें तो सुल्ताने इस्लाम उन्हें मजबूर करेगा न मानेंगे तो उन पर जिहाद फ़रमाएगा। वल्लाह तआला आलम।

हुक़ूक़े मुस्लिम

एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का क्या क्या हक़ है जैल में अहादीसे करीमा के ज़रिए इसका मुख़्तसर तज़किरा किया जाता है।

हदीस न. 1 : सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं :-

किसी नेकी को मामूली न जानो अगर्चे इसी क़द्र कि तू अपने भाई से ख़न्दा पेशानी से पेश आए। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने हज़रत अबू ज़र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया।

इस हदीस से मालूम हुआ कि मुसलमान भाई से ख़ुशरवी से पेश आना भी बड़ी नेकी है। इसको और इस तरह की दूसरी नेकियों को मामूली नहीं तसव्वुर करना चाहिए और यह कि एक मुसलमान का दूसरे पर हक़ है कि जब उससे मिले तो ख़न्दारवी से पेश आए।

हदीस न. 2 : रसूले अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने औरतों को ख़िताब करके फ़रमाया :-

ऐ मुसलमान औरतों! हरगिज़ कोई पड़ोसन किसी पड़ोसन को हक़ीर न समझे अगर (उसका हदिया) बकरी का खुर ही हो। इस हदीस को इमाम बुख़ारी व मुस्लिम ने हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया।

यानी कोई औरत अपने पड़ोस की किसी औरत को ज़लील न तसव्वुर करे अगर्चे वह तोहफ़े में बकरी के खुर जैसी कोई मामूली ही चीज़ भेजे बल्कि उसके हर हदिए की क़द्र करे नाकि शिकायत। एक दूसरी हदीस में इसी तरह आया कि अगर्चे जला हुआ खुर ही हो। इस हदीस में औरतों की तख़सीस इस लिए है कि नेमतों और हदियों की नाक़द्री व नाशुक्री का माद्दा उनके अन्दर मर्दों से ज़्यादा होता है।

मुसलमान को बेवजह शरई तकलीफ़ पहुँचाना हराम क़तई है।

अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला फ़रमाता है :-

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ
مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ٥

<u>तर्जमा</u> : और जो ईमान वाले मर्दों और औरतों को बे किए सताते हैं उन्होंने बोहतान और खुला गुनाह अपने सर लिया। (कंज़ुल ईमान)

हदीस न. 3 : हुज़ूर सरवरे आलम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं :-

जिसने किसी मुसलमान को आज़ार पहुँचाया उसने मुझको अज़ीयत दी और जिसने मुझको अज़ीयत दी उसने हक़ तआ़ला को ईज़ा पहुँचाई। इस हदीस को इमाम तबरानी ने औसत में हज़रते अनस रद़ियल्लहु तआला अन्हु से सनदे हसन के साथ रिवायत किया।

हदीस न. 4 : इमाम राफ़ई ने सय्येदिना अली कर्रमल्लाहु वजहु से रिवायत किया कि सरकार मुस्तफ़ा स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया " हमारी जमाअत से वह नहीं जो किसी मुसलमान से दग़ा करे या उसको नुक़सान पहुँचाए या उसके साथ मकर से पेश आए "

इस सिलसिने में बहुत हदीस आईं हैं यहाँ सबका ज़िक्र करना मक़सूद नहीं।

हदीस न. 5 : हज़रते मुस्तफ़ा स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया " जिसके सामने किसी मुसलमान को बेइज़्ज़त किया जाए और वह .क़ुदरत के बावजूद उसकी मदद न करे हक़ तआ़ला उसको क़यामत के दिन बरमला ज़लील व रुसवा करेगा " इस हदीस को इमाम अहमद ने सुहैल इब्ने हनीफ़ से इस्नादे हसन के साथ रिवायत किया।

इससे अन्दाज़ा लगाना चाहिए कि जब किसी मुसलमान की ज़लील होने पर ख़ामोश रहने पर इस क़द्र अज़ाब होगा तो ख़ुद मुसलमान को ज़लील करने पर किस क़द्र अज़ाब व ग़ज़ब होगा। अल अयाज़ु बिल्लाहि तआ़ला।

हदीस न. 6 : चूंकि रसूले पाक अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत पर कमाल दर्जा की रह़मत व इनायत फ़रमाते है इस लिए इस को जाइज़ नहीं फ़रमाते कि किसी मुसलमान के पैग़ामे निकाह पर दूसरा कोई मुसलमान पैग़ाम दे और न यह कि किसी के भाव पर दूसरा कोई भाव लगाए।

इमाम अह़मद और इमाम बुख़ारी ने हज़रत अबू हुरैरा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत किया कि नबी स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कोई आदमी अपने भाई की मंगनी हो चुकने पर पैग़ाम न दे और न भाव तय हो जाने पर दूसरा कोई उस पर भाव करे। इस बाब में उक़बा इब्ने आमिर और इब्ने उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम से भी रिवायत है।

यहाँ जबकि अभी नेमत हासिल न हुई और न ही क़ब्ज़ा हुआ इस क़द्र शदीद मुमानअत है तो जो किसी के माल पर ज़बरदस्ती क़ब्ज़ा करे तो किस दर्जा .ज़ुल्म व सितम होगा और अज़ाब की वजह होगा।

हदीस न. 7 : हुज़ूर सय्यदे आलम स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया :-

हममे से नहीं जो हमारे छोटे पर मेहरबानी न करे और हमारे बड़े की बुज़ुर्गी न पहचाने। इस हदीस को इमाम अह़मद व तिर्मिज़ी और हाकिम ने हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से सनदे हसन बल्कि सनदे सही के साथ रिवायत किया।

हदीस न. 8 : फ़रमाया स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कि हमारे तरीक़े पर वह नहीं जो छोटों पर रह़म और बड़ों की तौक़ीर नहीं करता।

इस हदीस को इमाम अह़मद व तिर्मिज़ी और इब्ने हब्बान ने हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत किया जिसकी सनद हसन है और इसी के मिस्ल तबरानी ने मोजमे कबीर में वासला इब्ने अस्क़ा रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवयत किया।

हदीस न. 9 : फ़रमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने " हममे से नहीं जो छोटों पर शफ़क़त नहीं करता और बड़ों का हक़ नहीं पहचानता और वह हममे से नहीं जो मुसलमान को धोका देता है और उस वक़्त तक मुसलमान मुसलमान नहीं होता जब तक कि दूसरे ईमान वालों के लिए वही पसन्द न करे जो अपने लिए पसन्द करता है " इस हदीस को तबरानी ने कबीर में ज़मीरह रदियल्लाहु तआला अन्हु से बइस्नादे हसन रिवायत किया।

हदीस न. 10 : फ़रमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने " सपैद बाल वाले (यानी बूढ़े) मुसलमान की इज़्ज़त करना ख़ुदा की ताज़ीम से है " इस हदीस को अबू दाऊद ने अबू मूसा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया।

हदीस न. 11 : जो मुसलमान इल्मे दीन रखता हो इसके साथ बुराई करना कितना बुरा है कहने की .जुरूरत नहीं हुज़ूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं

" वह हमारी उम्मत से नहीं जो हमारे बुज़ुर्ग की ताज़ीम न करे और छोटों पर शफ़क़त न करे और हमारे आलिम के हक़ को न पहचाने " इस हदीस को इमाम अहमद ने मसनद और हाकिम ने मुस्तदरक में और तबरानी ने कबीर में हज़रत उबादा इब्ने सामित रदियल्लाहु तआला अन्हु से बइस्नादे हसन रिवयत किया।

हदीस न. 12 : फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने :-

तीन आदमी ऐसे हैं कि उनके हक़ को वही हल्का जानेगा जो मुनाफ़िक़ हो पहला वह शख़्स कि इस्लाम में जिसका बाल सपैद हुआ यानी बूढ़ा मुसलमान दूसरा आलिम तीसरा बादशाहे आदिल। इस हदीस को तबरानी ने अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया ऐसे तरीक़े से जिसको इमाम तिर्मिज़ी ने हसन कहा है दूसरे तीन के साथ।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

हुक़ूक़ुल इबाद की अहमियत

मौसूम बनाम तारीख़ी

आजबुल इमदाद फ़ी मुकफ़्फ़िराति हुक़ूक़िल इबाद

(तर्जमा : अजब तरीन इमदाद हुक़ूक़ुल इबाद का कफ़्फ़ारा बनने वाली चीज़ों के बारे में)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم

نَحۡمَدُہٗ وَ نُصَلِّے عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡم

मसअला : हुक़ूक़ुल इबाद (बन्दों का हक़) भी किसी तरह माफ़ रहता है बग़ैर उसके माफ़ किए जिसका हक़ है और हुक़ूक़ुल इबाद किस क़द्र हैं। बयान कीजिए और अज्र पाइये।

***अलजवाब* :** हुक़ूक़ुल इबाद वह मुतालबए माली (माल का मुतालबा) है कि शरअन उसके ज़िम्मे किसी के लिए साबित हो और हर वह नुक़सान आज़ार (दुख) जो बेइजाज़त शरईया किसी क़ौल, फ़ेल या तर्क से किसी के दैन, आबरू, जान, जिस्म, माल या सिर्फ़ क़ल्ब को पहुँचाया जाए। (यानी शरई इजाज़त के बग़ैर किसी को कोई नुक़सान पहुँचाने के बदले जो मुतालबा आए उसे हुक़ूक़ुल इबाद कहते हैं) यह दो क़िस्म के होते हैं अव्वल को दुयून (बमअनी क़र्ज़ की जमा) दूसरे को मज़ालिम (.जुल्म की जमा) और इन दोनों को तबियात (बमअनी तावान) कहते हैं। इन दोनों क़िस्मों में उमूम .ख़ुसूस मिन वजहिन है यानी कहीं तो दुयून पाया जाता है मज़लिमा

नहीं जैसे ख़रीदी चीज़ की क़ीमत, मज़दूर की उजरत, औरत का महर वग़ैरा दुयून कि जाएज़ ख़रीद फ़रोख़्त से उसके ज़िम्मे लाज़िम हुए और उसने उनकी अदा में नाजाएज़ तौर पर देर की यह हक़ूक़ुल इबाद उसकी गर्दन पर है मगर कोई .ज़ुल्म नहीं ----- और कहीं मज़लिमा पाया जाता है दैन नहीं जैसे किसी को मारा, गाली दी, बुरा कहा, ग़ीबत की कि उसकी ख़बर उसको पहुँची यह सब हुक़ूक़ुल इबाद व .ज़ुल्म हैं मगर कोई दैन वाजिबुल अदा नहीं (यानी कोई रक़म या माल देना उसके ज़िम्मे वाजिब नहीं) --------- और कहीं दैन और मज़लिमा दोनों होते हैं जैसे किसी का माल चुराया, छीना, लूटा, रिशवत, सूद या जुए में लिया माल। ये सब दुयून भी हैं और .ज़ुल्म भी। ----- पहली क़िस्म के हुक़ूक़ में तमाम सूरतों में माल ही का मुतालबा है ----- दूसरी क़िस्म में क़ौल व फ़ेल व तर्क को दैन आबरू व जान जिस्म माल क़ल्ब में ज़रब देने से अट्ठारह क़िस्म के हक़ में गिरफ़्तार और हर क़िस्म में सैकड़ों सूरतें शामिल तो यह बताना कि हुक़ूक़ुल इबाद कितने हैं बहुत दुश्वार है। इसका ज़ाबतए कुल्लिया (यानी सिध्धांत, उसूल या फ़ारमूला) यह है कि इन दोनों क़िस्मों से जो काम जहाँ पाया जाये उसे हुक़ूक़ुल इबाद जानिए ----- फिर हक़ किसी क़िस्म का हो जब तक साहिबे हक़ (यानी जिसका हक़ आ रहा है) माफ़ न करे माफ़ नहीं होता ----- अल्लाह के हक़ में तो ज़ाहिर है कि अल्लाह के अलावा कौन है जो माफ़ करे। अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है कि :- وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۝ (तर्जमा : कौन गुनाह बख़्शे अल्लाह के सिवा) --- अल्हम्दुलिल्लाह कि माफ़ी करीम, ग़नी, क़दीर और ग़फ़ूरुर्रहीम के हाथ है और وَالْكَرِيْمُ لَا يَاتِيْ مِنْهُ اِلَّا الْكَرَمُ ۝ (तर्जमा : करीम यानी मेहरबान से

करम ही साबित होता है) लेकिन हुक़ूक़ुल इबाद में उस पाक बेनियाज़ अल्लाह तआ़ला ने यही ज़ाबता (उसूल, तरीक़ा) रखा है कि जब तक वह बन्दा माफ़ न करे माफ़ न होगा अगरचे मौला तआ़ला हमारा और हमारे जान -ओ- माल व हुक़ूक़ सब का मालिक है, अगर वह बे हमारी मर्ज़ी के हमारे हुक़ूक़ जिसे चाहे माफ़ फ़रमा दे तो भी ऐन हक़, अद्ल व इन्साफ़ है कि हम भी उसी के और हमारे हक़ भी उसी के मुक़र्रर फ़रमाए हुए ---- अगर वह हमारे ख़ून व माल व इज़्ज़त वग़ैरा को मसूम व मोहतरम न करता तो हमें कोई कैसी ही तकलीफ़ पहुँचाता नाम को भी हमारे हक़ में गिरफ़्तार न होता, यूँ ही इस हुरमत (हराम क़रार देना) के बाद भी जिसे चाहे हमारे हुक़ूक़ में छोड़ दे, हमारी क्या मजाल कि शिकायत कर सकें मगर उस करीम रहीम की रहमत कि हमारे हुक़ूक़ का इख़्तेयार हमारे इख़्तेयार में रखा है, बे हमारे बख़्शे माफ़ होने की सूरत न रखी कि कोई सितम रसीद (जिस पर सितम हुआ हो) यह न कहे कि ऐ मेरे मालिक मुझे इन्साफ़ न मिला हदीस शरीफ़ में हुज़ूर पुर नूर सय्यदुल मुरसलीन स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि

" दफ़्तर तीन हैं एक दफ़्तर में से अल्लाह तआ़ला कुछ न बख़्शेगा और एक दफ़्तर की अल्लाह तआ़ला को कुछ परवाह नहीं और एक दफ़्तर में से अल्लाह तआ़ला कुछ न छोड़ेगा। वह दफ़्तर जिसमें असलन माफ़ी की जगह नहीं वह तो कुफ़्र है कि किसी तरह न बख़्शा जाएगा और वह दफ़्तर जिसकी अल्लाह तआ़ला को कोई परवाह नहीं वह बन्दे का गुनाह है ख़ालिस अपने और अपने रब के मामले में कि किसी दिन का रोज़ा तर्क किया या कोई नमाज़ छोड़ी, [illegible] चाहे तो उसे [illegible] दे और दरगुज़र [illegible]

और वह दफ़्तर जिसमें से अल्लाह तआला कुछ न छोड़ेगा वह बन्दों को आपस में एक दूसरे पर .ज़ुल्म है कि उससे .ज़ुरूर बदला होना है "

यहाँ तक कि हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैही वसल्लम फ़रमाते हैं कि :-

"बेशक रोज़े क़यामत तुम्हें अहले हुक़ूक़ (हक़ वाले) को उनके हक़ अदा करने होंगे यहाँ तक कि मुंडी बकरी का बदला सींग वाली बकरी से लिया जाएगा कि उसे सींग मारा"

एक रिवायत में फ़रमाया 'यहाँ तक कि चींटी का चींटी से एवज़ लिया जाएगा।' फिर वहाँ रुपये अशर्फ़ियाँ तो हैं नहीं कि हक़ कि मुआवज़े में दी जायें। उसके अदा का तरीक़ा यह होगा कि उसकी (जिसका हक़ आ रहा है) नेकियाँ हक़ वाले को दी जाएंगी अगर अदा हो गया ग़नीमत वरना उसके (जिसका हक़ आ रहा है) गुनाह उस (जिस पर हक़ आ रहा है) पर रखे जाएंगे। यहाँ तक कि इन्साफ़ के तराज़ू पर वज़न पूरा हो। इस सिलसिले में बहुत हदीसें आईं हैं। हदीस सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि :-

" हुज़ूरे अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जानते हो मुफ़लिस कौन है? सहाबा ने अर्ज़ की हमारे यहाँ तो मुफ़लिस वह है जिसके पास ज़र व माल न हो। फ़रमाया कि मेरी उम्मत में मुफ़लिस वह है जो क़यामत के दिन नमाज़, रोज़े, ज़कात लेकर आये और यूँ आए उसे गाली दी, उसे ज़िना की तोहमत लगाई, उसका माल खाया, उसका ख़ून कराया, उसे मारा तो उसकी (जिस पर हक़ आ रहा है) नेकियाँ उसे (जिसका हक़ हो) दी जाएंगी। फिर अगर नेकियाँ [illegible] चुकीं और हक़ बाक़ी हैं तो उनके (जिसका हक़ आ रहा है) गुनाह लेकर उस (जिस पर हक़ आ रहा है) पर

डाले गये फिर जहन्नम में फेंक दिया गया। वल अयाज़ुबिल्लाही सुबहानहु तआला।

ग़र्ज़ हुक़ूक़ुल इबाद बे उनकी माफ़ी के माफ़ न होंगे लिहाज़ा मरवी हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ग़ीबत ज़िना से सख़्त्तर है। किसी ने अर्ज़ किया कि यह क्यूँ फ़रमाया :-

" ज़ानी तौबा करे तो अल्लाह तआला तौबा क़बूल फ़रमा ले और ग़ीबत वाले की मग़फ़िरत न होगी जब तक वह न बख़्शे जिसकी ग़ीबत की है "

फिर यहाँ माफ़ करा लेना सहल है क़यामत के दिन उसकी उम्मीद मुशकिल कि वहाँ हर शख़्स अपने अपने हाल में गिरफ़्तार, नेकियों का तलबगार, बुराईयों से बेज़ार होगा। पराई नेकियाँ अपने हाथ आती अपनी बुराईयाँ उसके सर जाती किसे बुरी मालूम होती हैं। यहाँ तक कि हदीस में आया कि माँ बाप का बेटे पर कुछ दैन आता होगा रोज़े क़यातम उसे लपेट लेंगे कि हमारा दैन दे। वह कहेगा कि मैं तुम्हारा बच्चा हूँ यानी शायद रहम करें। वह तमन्ना करेगा काश और ज़्यादा होता।

जब माँ बाप का यह हाल है तो औरों से उम्मीद बेकार। हाँ करीम व रहीम मौला जल्ला जलालुहू व तबारका व तआला जिस पर रहम फ़रमाना चाहेगा तो यूँ करेगा कि हक़ वाले को बहुत ज़्यादा जन्नत के महल अता फ़रमाकर हक़ माफ़ करने पर राज़ी करेगा। एक करिशमए करम में दोनों का भला हो जाएगा। न उसकी नेकियाँ व अच्छाईयाँ उसे दी गईं न उसके गुनाह उसके सर रखे गये। न उसका हक़ ज़ाए होने पाया बल्कि हक़ से हज़ारों दर्जे बेहतर व अफ़ज़ल पाया। रहमते हक़ की ज़र्रा नवाज़ी देखिए ज़ालिम को छुटकारा मिला और मज़लूम राज़ी हुआ। हदीस में है एक दिन

हुज़ूर पुर नूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फ़रमा थे। अचानक मुस्कुराए कि अगले दन्दाने मुबारक ज़ाहिर हुए। अमीरुल मोमिनीन फ़ारूके आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप हुज़ूर पर .कुरबान किस बात पर हुज़ूर को हंसी आई। इरशाद फ़रमाया :-

" दो मर्द मेरी उम्मत से रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहू के हुज़ूर ज़ानुओं पर खड़े हुए एक ने अर्ज़ की ऐ रब मेरे मेरे इस भाई ने जो .ज़ुल्म मुझ पर किया है उसका एवज़ मेरे लिए ले। "

रब तबारक व तआला ने फ़रमाया :-

"अपने भाई के साथ क्या करेगा। उसकी नेकियाँ तो सब हो चुकीं। "

मुद्दई ने अर्ज़ की ऐ रब मेरे तो यह (जिस पर हक़ आ रहा है) मेरे गुनाह उठा ले। यह फ़रमा कर रहमते आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आँखें आंसू बहाने लगीं फिर फ़रमाया कि बेशक वह दिन बड़ा सख़्त है, लोग इसके मौहताज होंगे कि उनके गुनाहों का कुछ बोझ और लोग उठायें। मौला अज़्ज़ावजल्ला ने फ़रमाया "नज़र उठा कर देख।" उसने नज़र उठाई कहा 'ऐ रब मेरे मैं कुछ शहर देखता हूँ सोने के और महल के महल सोने के सरापा मोतियों से जड़े हुए ये किसी नबी के हैं, या किसी सिद्दीक़ के, या किसी शहीद के।' मौला तबारक व तआला ने फ़रमाया "उसके हैं जो क़ीमत दे।" कहा 'ऐ रब मेरे इनकी क़ीमत कौन दे सकता है।' फ़रमाया तू। अर्ज़ की क्यूँकर। फ़रमाया यूँ कि अपने भाई को माफ़ कर दे। कहा 'ऐ रब मेरे यह बात है तो मैने माफ किया' मौला तआला ने फ़रमाया "अपने भाई का हाथ पकड़ ले और जन्नत में ले जा"

हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसे बयान करके फ़रमाया अल्लाह तआला से डरो और अपने आपस में सुलह करो कि मौला अज़्ज़ावजल्ला क़यामत के दिन मुसलमानों में सुलह फ़रमायेगा।

और फ़रमाते है सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम :-

" जब मख़लूक़ रोज़े क़यामत जमा होगी। एक मुनादी अल्लाह तआला की तरफ़ से निदा करेगा ऐ मजमे वालों! अपने .ज़ुल्मों का तदारूक कर लो तुम्हारा सवाब मेरे ज़िम्मे है "

और फ़रमाते है सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम :-

" बेशक अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला रोज़े क़यामत सब अगलों पिछलों को एक ज़मीन में जमा फ़रमाएगा। फिर अर्श के नीचे से मुनादी निदा करेगा ऐ तौहीद वालों मौला तआला ने अपने हुक़ूक़ माफ़ फ़रमा दिए। लोग खड़े होकर आपस में एक दूसरे से लिपटेंगे। मुनादी पुकारेगा ऐ तौहीद वालों एक दूसरे को माफ़ कर दो और सवाब देना मेरे ज़िम्मे है।

यह दौलते कुबरा (बड़ी दौलत) अज़ीम नेमत अपने महज़ करम -ओ- फ़ज़्ल से अल्लाह तआला हमें भी अता फ़रमाये।

इस वक़्त की नज़र में यह जलील वादा और अच्छी ख़ुशख़बरी वाज़ेह तौर पर पाँच क़िस्म के लोगों के लिए आई हैं :-

1- हाजी कि पाक माल पाक कमाई पाक नियत से हज करे उसमें लड़ाई झगड़े, औरतों के सामने जिमा के चर्चे और हर क़िस्म के गुनाह व नाफ़रमानी से बचे। उस वक़्त तक जितने गुनाह किए थे। सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं अगर हज कबूल हो गया। फिर अगर हज के बाद फ़ौरन मर गया, इतनी मौहलत न मिली कि जो हुक़ूक़ अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला या

बन्दों के उसके ज़िम्मे थे उनकी अदायगी की फ़िक्र करता तो क़वी उम्मीद है कि मौला तआ़ला अपने तमाम हुक़ूक़ माफ़ फ़रमा देगा यानी नमाज़, रोज़ा, ज़कात वग़ैरा फ़राएज़ कि बजा न लाया था उनके मुतालबे पर भी माफ़ी का क़लम फिर जाएगा और हुक़ूकुल इबाद दुयून व मज़ालिम मसलन किसी का क़र्ज़ आता हो, माल छीना हो, बुरा कहा हो उन सबको मौला तआ़ला अपने ज़िम्मे करम पर ले ले, हक़ वाले को रोज़े क़यामत राज़ी फ़रमा कर मुतालबा व ख़ुसूमत (दुश्मनी) से नजात बख़्शे, यूँही अगर बाद को ज़िन्दा रहा या जितनी .कुदरत थी हक़ अदा कर लिया यानी ज़कात दे दी नमाज़ रोज़े की क़ज़ा अदा की, जिसका मुतालबा आता था दे दिया या जिसे तकलीफ़ पहुँचाता था माफ़ करा लिया, जिस मुतालबे का लेने वाला न रहा या मालूम नहीं उसकी तरफ़ से सदक़ा कर दिया या क़िल्लत की वजह से हक़ जो ज़िम्मे था अदा करते करते रह गया उसकी निसबत अपने माल से वसीयत कर दी। ग़र्ज़ जहाँ तक छुटकारे की राह पर .कुदरत थी कोताही न की तो उसके लिए उम्मीद है और ज़्यादा क़वी कि अस्ल हुक़ूक़ की तदबीर हो गई और यह गुनाह हज से धुल गया। हाँ अगर .कुदरत के बावजूद उन कामों में क़ासिर रहा यानी कोताही की तो यह जब गुनाह अज़ सरे नौ उसके सर होंगे, हुक़ूक़ तो ख़ुद बाक़ी ही थे उनके अदा में फिरता ताख़ीर व तक़सीर यानी यह देर करना गुनाह हुई और हज उन गुनाहों के धोने को काफ़ी न होगा कि हज गुज़रे गुनाहों को धोता है आइन्दा के लिए आज़ादी की सनद नहीं होता। ------- बल्कि हज्जे मबरूर की निशानी यह है कि पहले से अच्छा हो कर पलटे।

فَاِنَّاللّٰہِوَاِنَّآ اِلَیۡہِ رَاجِعُوۡنَ وَلَاقُوَّۃَاِلَّا بِاللّٰہِالۡعَلِیِّ الۡعَظِیۡمِo

मसलए हज में बिहम्दुलिल्लाहि तआ़ला यह क़ौल फ़ैसल (अन्तिम Final) है जिसे फ़क़ीर ने बाद दलीलों और मज़हबों के रौशन करने और हर जानिब को घेर करके इख़्तयार किया जिससे इमामों के क़ौल में और हदीसो कलाम की दलीलों में मुवाफ़क़त की तौफ़ीक़ हो जाती है। इस अज़ीम बहस की नफ़ीस तहक़ीक़ अल्लाह की मदद से इस सवाल के आने के बाद एक जगह अलग लिखी यहाँ इसी क़द्र काफ़ी है।

हदीस शरीफ़ मे है :-

हुज़ूरे अक़दस रहमते आलम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने अरफ़ात में वुक़ूफ़ फ़रमाया (यानी अराफ़ात के मैदान में ठहरे) यहाँ तक कि आफ़ताब डूबने पर आया। इस वक़्त इरशाद हुआ कि ऐ बिलाल लोगों को मेरे लिए ख़ामोश कर। बिलाल रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने खड़े होकर पुकारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के लिए ख़ामोश हो। लोग ख़ामोश हुए। हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया " ऐ लोगों अभी जिब्रील ने हाज़िर होकर मुझे मेरे रब का सलाम -ओ- पयाम पहुँचाया कि अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला ने अरफ़ात व माशरिल हराम वालों की मग़फ़िरत फ़रमाई और उनके बाहमी हुक़ूक़ (एक दूसरे के हुक़ूक़) का .खुद ज़ामिन हो गया। अमीरुल मोमिनीन हज़रते उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने खड़े होकर अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्या यह दौलत ख़ास हमारे लिए है? फ़रमाया तुम्हारे लिए और जो तुम्हारे बाद क़यामत तक आयें सबके लिए। हज़रते उमर रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने कहा अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला की ख़ैर कसीर और पाकीज़ा है, अल्हमदु लिल्लाहि रब्बिल आ़लमीन।

2- शहीदे बहर कि ख़ास अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला की रज़ा

चाहने और उसका बोल बाला होने के लिए समन्दर में जिहाद करे और वहाँ डूब कर शहीद हो। हदीसों में आया है कि मौला अज़्ज़ावजल्ला .ख़ुद अपने दस्ते .क़ुदरत से उसकी रूह क़ब्ज़ फ़रमाता है और अपने तमाम हुकूक़ माफ़ फ़रमाता और बन्दों के सब मुतालबे जो उस पर थे अपने ज़िम्मे करम पर लेता है। हदीस में है :-

" हुज़ूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं जो .ख़ुशकी में शहीद हो उसके सब गुनाह बख़्शे जाते हैं मगर हुक़ूक़ुल इबाद और जो दरिया में शहादत पाए उसके तमाम गुनाह व हुक़ूक़ुल इबाद सब माफ़ हो जाते हैं।

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا بِجَاهِهٖ عِنْدَكَ صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ ٥ اٰمِيْنَ٥

3. शहीदे सब्र यानी वह मुसलमान सुन्नी सहीउल अक़ीदा जिसे ज़ालिम ने गिरफ़्तार करके बेकसी व मजबूरी की हालत में क़त्ल किया या सूली दी या फांसी दी कि क़ैद की वजह से अपना बचाव नहीं कर सकता था बख़िलाफ़ जिहाद के कि मारता मरता है। यह बेकसी और मजबूरी ज़्यादा अल्लाह की रहमत की वजह होती है कि हुक़ूक़ुल्लाह और हुक़ूक़ुल इबाद कुछ नहीं रहता। इन्शाअल्लाह तआला।

बज़्ज़ाज़िया में हज़रते उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रद्दियल्लाहु तआला अन्हा से बसन्द सही बुख़ारी में रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल्ललाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि क़त्ल सब्र किसी गुनाह पर नहीं गुज़रता मगर यह कि उसे मिटा देता है।

नीज़ बज़्ज़ाज़िया ही में हज़रते अबू हुरैरा रद्दियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्ल्ललाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि आदमी का सब्र की वजह से मारा जाना उसके गुज़रे हुए गुनाहों का कफ़्फ़ारा है।

हमने यहाँ सुन्नी सहीउल मज़हब की तख़सीस इसलिए की (यानी यह बात सिर्फ़ सुन्नी सहीउल अक़ीदा के लिए है) कि रसूलुल्लाह सल्ल्ललाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं :-

" अगर कोई बदमज़हब तक़दीरे हर ख़ैर -ओ- शर का मुन्किर ख़ास हज्रे असवद व मक़ामे इब्राहीम अलैहिस्सलातो वत्तसलीम के दरम्यान महज़ मज़लूम और साबिर मारा जाए और वह अपने इस क़त्ल में सवाबे इलाही के मिलने की नियत भी रखे तब भी अल्लाह तआला उसकी किसी बात पर नज़र न फ़रमाए यहाँ तक कि जहन्नम में दाख़िल करे। वल अयाज़ु बिल्लाहि तआला।

4. मदयून (क़र्ज़दार) जिसने बहाजते शरइया (यानी किसी शरई .ज़ुरूरत के लिए) किसी नेक जाएज़ काम के लिए दैन लिया और अपनी और अपनी चलती अदा में कोई कोताही न की न अपनी तरफ़ से कभी देर की बल्कि सच्चे दिल से अदा पर हमेशा आमादा और अपनी .क़ुदरत तक अदा करने की फ़िक्र में रहा फिर किसी मजबूरी की वजह से अदा न कर सका और मौत आ गई तो मौला अज़्ज़ावजल्ला उसके लिए उस दैन से दरगुज़र फ़रमाएगा और रोज़े क़यामत अपने ख़ज़ानए .क़ुदरत से अदा फ़रमाकर दाएन (जिसका क़र्ज़ आ रहा हो) को राज़ी कर देगा इसलिए यह वादा ख़ास उसी दैन के वास्ते है तमाम हुक़ूक़ुल इबाद के लिए नहीं।

हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्ल्ललाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं " जो किसी दैन का मामला करे कि उसके अदा की नियत रखता हो अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला रोज़े क़यामत उसकी तरफ़ से अदा फ़रमाएगा "

मुसतदरक में हज़रते अबू उमामा रद्दियल्लाहु तआला अन्हु के अलफ़ाज़ इस तरह हैं कि "जिसने कोई मामला दैन किया और दिल में अदा की नियत रखता था फिर मौत आ

गई अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला उससे दरगुज़र फ़रमाएगा और दाएन (क़र्ज़ देने वाला) को जिस तरह चाहे राज़ी करेगा "

नेक व जाएज़ काम की क़ैद हदीस अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से ज़ाहिर है कि इसमें .ज़ुरूरत जिहाद तजहीज़ तकफ़ीन (कफ़न दफ़न) मुसलमान व .ज़ुरूरते निकाह को ज़िक्र फ़रमाया बल्कि बुख़ारी तारीख़ और इब्ने माजा सुनन और हाकिम मुस्तदरक में रावी हुज़ूर स़ल्ल्ललाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि

" बेशक अल्लाह तआ़ला क़र्ज़दार के साथ है यहाँ तक कि अपना क़र्ज़ अदा करे जब तक कि उसका दैन अल्लाह तआ़ला के नापसन्द काम में न हो "

मजबूरी की वजह से रह जाने की क़ैद हदीसे इब्ने सिद्दीक़े अकबर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से साबित कि अल्लाह तआ़ला रोज़े क़यामत मक़रूज़ों (जिन पर क़र्ज़ हो) से पूछेगा तूने काहे में यह दैन लिया और लोगों का हक़ ज़ाए किया। अर्ज़ करेगा ऐ रब मेरे! मेरे अपने खाने पीने पहनने ज़ाए कर देने के सबब वह दैन न रह गया बल्कि आग लग गई या चोरी हो गई या तिजारत में टोटा पड़ा इस वजह से अदा करने से रह गया। अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला फ़रमाएगा मेरा बन्दा सच कहता है सबसे ज़्यादा मैं मुस्तहक़ हूँ कि अदा फ़रमा दूँ फिर मौला सुब्हानहू तआ़ला कोई चीज़ मंगा कर उसके मीज़ान के पल्ले में रख देगा कि नेकियाँ बुराईयों पर ग़ालिब आ जायेंगी और बन्दा रह़मते इलाही के फ़ज़्ल से दाख़िले जन्नत होगा।

5. पन्जुम औलियाए किराम यह बात .क़ुरआन से साबित है कि ये लोग रोज़े क़यामत हर ख़ौफ़ व ग़म से सलामत व महफ़ूज़ हैं कि अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है :-

اَلَاۤ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۝

तर्जमा : सुन लो बेशक अल्लाह के वलियों पर न कुछ ख़ौफ़ है न ग़म।

तो उनमें से बाज़ से इन्सानी तक़ाज़े की वजह से बाज़ से अल्लाह के हक़ में अपने मनसब व मक़ाम के लिहाज़ से कोई कमी रह गई और अल्लाह तआ़ला उस ग़लती को होने से पहले माफ़ फ़रमा चुका कि अल्लाह तआ़ला फ़रमाता कि " मैने तुमको तुम्हारे मुझसे सवाल करने से पहले ही दे दिया और तुम्हारी दुआ क़बूल की तुम्हारे दुआ करने से पहले और तुमको माफ़ कर दिया तक़सीर से पहले "

यूँही अगर बाहम किसी तरह की शक्रन्जी (थोड़ी सी नाराज़गी जो कभी-कभी दो दोस्तों के दरम्यान हो जाती है) या किसी बन्दे के हक़ में कुछ कमी हो जैसे सहाबा रिद़वानुल्लाहि तआ़ला अ़लैहिम अजमईन के मशाजरात (इख़्तलाफ़ात) कि रसूलुल्लाह स़ल्ल्ललाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "अनक़रीब मेरे बाज़ सहाबा से लग़ज़िश होगी जिसे अल्लाह तआ़ला माफ़ फ़रमा देगा इस वजह से कि उन्होंने पहले पहल मेरा साथ दिया "

तो मौला तआ़ला वह हुक़ूक़ अपने ज़िम्मे करम पर लेकर अरबाबे हुक़ूक़ (यानी वो लोग जिनका हक़ आ रहा हो) को हुक्म तजावुज़ फ़रमाएगा और एक दूसरे में सफ़ाई करा कर आमने सामने जन्नत के आलीशान तख़्तों पर बिठाएगा कि

وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ۝

तर्जमा : और हमने उनके सीनों में से जो कुछ कीने थे सब खींच लिए, आपस में भाई भाई हैं।

इसी मुबारक क़ौम के सरवर व सरदार हज़रात अहले बदर रदि़यल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम अजमईन हैं जिन्हें इरशाद

होता है اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ كَفَرْتُ لَكُمْ (तजंमा : जो चाहे करो मैं तुम्हें बख़्श चुका) उन्हीं के अकाबिर सादात से हज़रत अमीरुल मोमिनीन उसमाने ग़नी रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु हैं जिनके लिए बारहा फ़रमाया गया कि " आज से उसमान कुछ करे उस पर कुछ मुवाख़िज़ा नहीं "

फ़क़ीर ग़फ़ारल्लाहु तआ़ला कहता है (यानी आलाहज़रत फ़रमाते हैं) कि हदीस शरीफ़ (इस हदीस को दैलमी ने मस्नदुल फ़िरदौस में और इमाम .क़ुशैरी ने अपने रिसाले में और [illegible] नज्जार ने अपनी तारीख़ में हज़रते अनस इब्ने मालिक रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है) में आया है कि " जब ख़ुदा किसी बन्दे को महबूब बना लेता है तो उसको कोई गुनाह नुक़सान नहीं देता "

इस हदीस का उम्दा महल यही है कि महबूबाने ख़ुदा अव्वल तो गुनाह करते ही नहीं اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيْعٌ (तर्जमा : बेशक मुहिब (महब्बत करने वाला) जिससे महब्बत करता है उसका इताअत गुज़ार होता है) और अगर इत्तेफ़ाक़न कोई ख़ता वाक़े हो तो अल्लाह का वाइज़ (अल्लाह वालों से ख़ता होने के वक़्त कोई उन्हें आगाह करता है उसे अल्लाह का वाइज़ कहते हैं) उसको आगाह करता है और लौटने की तौफ़ीक़ देता है। इसी तावील को मेरे वालिदे गिरामी हज़रत मौलाना नक़ी अली ख़ाँ रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने इख़्तयार फ़रमाया है। फिर गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे कि बेगुनाह --- और बिलफ़र्ज़ अल्लाह का इरादा दूसरे तौर पर अफ़्व (माफ़ी) व मग़फ़िरत की तजल्ली और महबूबियत पर क़बूल की तजल्ली फ़रमाता तो माफ़ी और रज़ा अहले हक़ के सामने मौजूद गुनाह का नुक़सान अल्लाह की हम्द से हर तरह ख़त्म।

وَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْكَرِيْمِ الْوَدُوْدِ وَ هٰذَا مَا زِدْتُهٗ بِفَضْلِ الْمَحْمُوْدِ○

फ़क़ीर ग़फ़ारल्लाहु तआ़ला लहू के गुमान में हदीसे मज़कूर (जो ज़िक्र हुई) उम्मे हानी रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से यह आया है कि ينادی منادٍمن تحت العرش یااهل التوحيد (तर्जमा : एक पुकारने वाला पुकारेगा अर्श के नीचे से ऐ अहले तौहीद)

इस हदीस में अहले तौहीद से यही महबूबाने ख़ुदा मुराद हैं कि ख़ालिस तौहीदे कामिल ओ ताम (पूरी) इस तरह कि शिर्के ख़फ़ी से पाक ख़ास इन्हीं का हिस्सा है बख़िलाफ़ अहले दुनिया कि जिन्हें दुनिया, रुपया, लालच, ख़्वाहिश और रग़बत का .ग़ुलाम फ़रमाया गया وَقَالَ تَعَالٰى اَفَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰاهُ (तर्जमा : अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है भला देखो तो जिसने अपनी ख़्वाहिश को अपना ख़ुदा ठहराया) ---- और बेशक अल्लाह की मारफ़त मिले बग़ैर नफ़्स की ख़्वाहिशों की फ़रमाबरदारी से अलग रहना सख़्त दुश्वार। ये बन्दगाने ख़ुदा न सिर्फ़ इबादत बल्कि तलब व इरादा बल्कि ख़ुद अस्ल हस्ती और वुजूद में अपने रब की तौहीद करते हैं। लाइलाहाइल्लल्लाह के मअना अवाम के नज़दीक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ख़वास के नज़दीक अल्लाह के सिवा कोई मक़सूद नहीं, अहले बेदायत (विलायत के एक बहुत ऊँचे दर्जे वाले) के नज़दीक अल्लाह के सिवा कोई मशहूद नहीं। --- और ख़ासुल ख़ास यानी जो बहुत आला मक़ामे विलायत पर पहुँच चुके हों के नज़दीक अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं तो अहले तौहीद का सच्चा नाम इन्हीं के लाएक़ है। लिहाज़ा इनके इल्म को इल्मे तौहीद कहते है

جَعَلَنَا اللّٰہُ تَعَالٰی مِنْ خُدَّامِہِمْ وَتُرَابِ اَقْدَامِہِمْ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَتِ
وَغَفَرَلَنَا بِجَاہِہِمْ عِنْدَہٗ اِنَّہٗ اَہْلُ التَّقْوٰی وَاَہْلُ الْمَغْفِرَۃِ ، اٰمِین٥

<u>तर्जमा</u> : ऐ अल्लाह तआला हमें दुनिया और आख़रत में इनका ख़ादिम बना और हमारी मग़फ़िरत फ़रमा इनके तुफ़ैल में जो मर्तबा उनका तेरे पास है यही अहले तक़्वा अहले मग़फ़िरत हैं आमीन।

उम्मीद करता हूँ इस हदीस की यह तावील इमाम ग़िज़ाली की तावील से बेहतर है अल्लाह की तौफ़ीक़ से फिर इन सब सूरतों में जबकि यही तरीक़ा बरता गया साहिबे हक़ (हक़ वाला) को राज़ी फ़रमाये और बदला देकर उसी से बख़्शवाए तो वह कुल्लिया इस तरह सादिक़ (सच्चा) रहा कि हक़्क़ुल अब्द बग़ैर बन्दे के माफ़ किए माफ़ नहीं होता। ग़र्ज़ मामला नाज़ुक है और बात सख़्त है और अमल तबाह है और उम्मीद दूर है और करम आम है और रहम अज़ीम है ओर ईमान ख़ौफ़ व उम्मीद के बीच। (यानी किसी बन्दे के हक़ का मामला बहुत ही नाज़ुक है यूँ अल्लाह तआला का फ़ज़्ल कब किस पर कहाँ कैसे हो यह अल्लाह बेहतर जाने हमें ख़ौफ़ और उम्मीद दोनों ही रखने चाहिए।)

وَحَسْبُنَا اللّٰہُ وَ نِعْمَ الْوَکِیْلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ وَ
صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی شَفِیْعِ الْمُذْنِبِیْنَ نَجَاۃِ الْہَالِکِیْنَ مُرْتَجَی الْاٰئِسِیْنَ
مُلْتَجَی الْبَائِسِیْنَ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِہٖ وَ صَحْبِہٖ اَجْمَعِیْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ
وَاللّٰہُ سُبْحٰنَہٗ وَ تَعَالٰی اَعْلَمُ وَ عِلْمُہٗ جَلَّ مَجْدُہٗ اَتَمُّ وَاَحْکَمُ ط کَتَبَہٗ عَبْدُہٗ
الْمُذْنِبُ اَحْمَدُ رَضَا الْبَرِیْلَوِیُّ عُفِیَ عَنْہُ بِمُحَمَّدِنِ الْمُصْطَفٰی النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ
صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمْ٥

۱۴ ، جمادی الاولی ۱۳۱۰ھ

कुछ मुश्किल अलफ़ाज़ के मअनी

शब्द	अर्थ
अज़ीम	बड़ा
अहकाम	हुक्म की जमा
अज़ सरे नौ	दोबारा से शुरू
अहादीस	हदीस की जमा
आबिद	इबादत करने वाला
अज़ीयत	तकलीफ़
औलिया	वली की जमा
ईज़ा	तकलीफ़
इस्तिग़फ़ार	तौबा
क़ल्ब	दिल
क़ौल	बात
ख़ुशरवी	अच्छा अख़लाक़
ख़न्दारवी	ताज़ीम से झुक कर मिलना
फ़ेल	अमल
बरीउज़्ज़िम्मा	ज़िम्मेदारी से बरी
बदअफ़आल	बुरे अमल
माज़रत	माफ़ी
मासियत	गुनाह
मुफ़लिस	बहुत ग़रीब
मुद्दई	दावा करने वाला
मज़लूम	जिस पर ज़ुल्म हो
मुनादी	आवाज़ देने वाला
मक़ामे इब्राहीम	काबे के सामने वह पत्थर जिस पर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम

तरजीह	वरीयता
तख़सीस	ख़ास होना
तर्क	छोड़ना
ज़रब	गुणा
जमा	बहुवचन
नाफ़िज़	लागू
शाद	ख़ुश
शिर्के ख़फ़ी	छुपा हुआ शिर्क
सुन्नी सहीउल अक़ीदा	वह शख़्स जो अहले सुन्नत वल जमाअत के सच्चे मज़हब पर हो
हुक़ूक़	हक़ की जमा
हुक़ूक़ुल इबाद	बन्दे का हक़
हक़्क़ुल अब्द	बन्दे का हक़
हज्रे असवद	क़ाबे शरीफ़ में नसब वह पत्थर जो कि हुज़ूर ने अपने हाथों से लगाया था
हुब्बे जाह	फ़ानी ज़मीन जायदाद की महब्बत